SACHCHA RAHI • ISSN 2582-4007 • VOL 22 • ISSUE 03 • MAY 2023

हिन्दी मासिक

मई 2023

सच्चा राही

लखनऊ

सामाजिक एवं साहित्यिक

इस्लाम से हिन्दुस्तानी मुसलमानों का संबंध

यह एक सच्ची हक़ीक़त है कि इस्लाम, इस्लामी शिक्षा, रसूले पाक सल्ल. की ज़ात मुक़द्दस और आपके लाये हुए तरीक़े और दीन से जितना संबंध हिन्दुस्तानी मुसलमानों को है उतना अरब देशों को भी नहीं, अब भी अरबों को हिन्दुस्तानी मुसलमानों की नर्म दिली, दीनी रूजहान और इस्लाम के साथ वफादारी का एहसास है।

(हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी रह.)

एक प्रति ₹ 30/=

वार्षिक ₹ 300/=

सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै० मुहम्मद राबे हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि
एक प्रति ₹ 30/-
वार्षिक ₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ
SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007

मई 2023 वर्ष 22 अंक 03

इस्लाम और इल्म

इल्म के सिलसिले में इस्लाम का नज़रिया यह है कि इल्म अल्लाह को पहचानने का नाम है, इस्लाम इल्म को दो भागों में तक़सीम करता है, लाभदायक इल्म, हानिकारक इल्म, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हानिकारक इल्म से पनाह माँगी है। इल्म के साथ सही फिक्र के ज़रिए इन्सान कुदरत की निशानियों को पहचानता है। अच्छे बुरे के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत का नाम इल्म है।

(मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी नदवी रह0)

❖❖❖

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक मोहम्मद ताह्र अतहर द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-8318047804

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
दीनी मदरसों का तअ़लीमी साल	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	09
इन्सानियत का तक़ाज़ा	हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी	11
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	14
ज़िन्दगी का असल सरमायाः	मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0	16
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	18
शिक्षक के गुण	अफ़ज़ल हुसैन	20
ख़ुदा ख़ुदा करके भरम टूटा	इं0 जावेद इक़बाल	23
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	25
उर्दू के आधार स्तंभ	डॉ0 मुहम्मद अहमद	27
एक शमअ़ रह गयी थी	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	29
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	31
जहेज़ की रोक थाम (पद्य)	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी नसीराबादी	34
नारी और कुरआ़न	डॉ0 फरहत हुसैन	35
मोबाइल में क़ैद होती ज़िन्दगी	शगुफ़्ता ज़ाकिर	39
कब्ज़ से छुटकारा	डॉ0 शालिनी श्रीवास्तव	40
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अहले ख़ैर हज़रात की खिदमत में	इदारा	42

क़ुअ्नि की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-यूनुसः-

अनुवाद–

कहा कि तुम दोनों की दुआ स्वीकार कर ली गई बस तुम दोनों जमे रहो और ऐसों का रास्ता मत चलना जो अज्ञानी हैं(89) और हमने बनी इस्राईल को नदी पार करा दिया तो फ़िरऔन और उसकी सेना ने शरारत और ज़्यादती से उनका पीछा किया यहां तक कि जब वह डूबने लगा तो बोला कि मैंने मान लिया कि उस पूज्य के अलावा कोई पूज्य नहीं जिसको बनी इस्राईल ने माना है और मैं मुसलमान हूँ(90) अब क्या होता है जब कि पहले तू अवज्ञाकार रहा और तू फसादियों में से था(91) बस आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए (शिक्षा की) एक निशानी हो, जबकि अधिकतर लोग हमारी निशानियों से लापरवाह ही हैं[1](92) और हमने बनी इस्राईल को अच्छा ठिकाना दिया और साफ़ सुथरी चीज़ों की रोज़ी दी तो वे झगड़े में नहीं पड़े यहाँ तक कि ज्ञान उनके पास आ गया, वे जिन चीज़ों में झगड़ते रहे हैं क़यामत के दिन आप का पालनहार उसका फ़ैसला कर देगा[2](93) तो अगर आपको उस चीज़ में कुछ संदेह हो जो हमने आप पर उतारी है तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो आपके पहले से किताब पढ़ रहे हैं, आपके पास तो आपके पालनहार की ओर से सत्य आ चुका है तो आप हरगिज़ संदेह करने वालों में न हों(94) और हरगिज़ उन लोगों में भी न हों जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया कि आप भी घाटा उठाने वालो में हो जाएं[3](95) बेशक जिन पर आपके पालनहार की बात तय हो चुकी वे ईमान लाने वाले नहीं(96) चाहे उनके पास हर निशानी आ जाए यहां तक कि वे दुखद अज़ाब देख लेंगे[4](97) बस ऐसा क्यों न हुआ कि कोई बस्ती ईमान ले आती तो उसका ईमान उसके काम आता सिवाय यूनुस की क़ौम के जब वे ईमान लाये तो हमने दुनिया के जीवन में उन पर से अपमान का अज़ाब हटा दिया और एक अवधि तक उनको मज़े में रखा[5](98) और अगर आपका पालनहार चाहता तो दुनिया के सभी लोग ज़रूर ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती करेंगे कि वे ईमान वाले हो जाएं[6](99) और किसी व्यक्ति के बस में नहीं कि वह अल्लाह के आदेश के बिना ईमान ले आए और अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डालता है जो बुद्धि से काम नहीं लेते हैं(100) कह दीजिए कि देखो क्या कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और निशानियाँ और सावधान करने वाले, ऐसे लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जो मानते नहीं(101) तो क्या वे उन लोगों के जैसे दिनों का इंतेज़ार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं कह दीजिए कि तुम भी इंतेज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतेज़ार में हूँ(102) फिर हम अपने पैग़म्बरों और ईमान लाने वालों को नजात देते हैं, इसी प्रकार हमारे ज़िम्मे है कि हम ईमान लाने वालों को बचा लें(103) कह दीजिए कि ऐ

लोगो! अगर तुम्हें मेरे दीन में कुछ संदेह है तो मैं अल्लाह के सिवा उनको नहीं पूजता जिनको तुम पूजते हो हाँ मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें मौत देता है और मुझे आदेश है कि मैं ईमान वालों में रहूँ(104) और यह कि अपने मुँह को केवल दीन की ओर ही रखना और कहीं शिर्क करने वालों में न हो जाना(105) और अल्लाह के अलावा किसी ऐसे को मत पुकारना जो तुम्हें न फ़ायदा पहुँचा सके न नुक़सान पहुँचा सके बस अगर आपने ऐसा किया तो ज़रूर आप अत्याचारियों में हो जाएंगे(106)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. अल्लाह का क़ानून यही है कि अज़ाब आ जाने के बाद ईमान लाना स्वीकार नहीं होता, अल्लाह ने फ़िरऔन की लाश को सुरक्षित रखा और वह नदी के ऊपर तैरती रही ताकि सब देखने वाले देख लें कि ''अ न रब्बुकुमुल्आला'' (मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पालनहार हूँ) का नारा लगाने वाला कैसा असहाय है, वर्तमान शोध यह है कि काहिरा के म्युज़ियम में जिस फ़िरऔन की लाश है वह वही फ़िरऔन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के युग में डूबा, अगर यह शोध सत्य है तो यह इस उम्मत के सच्चा होने का खुला प्रमाण भी है क्योंकि यह आयत उस समय उतरी थी जब लोगों को मालूम भी नहीं था फ़िरऔन की लाश अब भी सुरक्षित है, वैज्ञानिक रूप से इसकी खोज बहुत बाद में हुई।

2. यानी उनको आसमानी किताबों में अंतिम पैग़म्बर के वर्णन पर पूरा विश्वास था, फिर जब वह पैग़म्बर आ गया तो वे झगड़ा पैदा करने लगे।

3. इसमें वास्तव में दूसरों को सुनाना मक़सद है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को चेताया जा रहा है तो दूसरों को कितना सावधान रहना चाहिए।

4. अल्लाह की ओर से यह बात उन्हीं के लिए तय होती है जो अल्लाह से विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं और उस प्राकृतिक रौशनी को बुझा देते हैं जो अल्लाह ने उनके दिलों में रखी है ''जब वे टेढ़े हो गये तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया'' ऐसे लोगों से हिदायत की तौफ़ीक ही छीन ली जाती है।

5. अल्लाह का क़ानून यही है कि अज़ाब आ जाने के बाद तौबा स्वीकार नहीं होती, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम को अज़ाब से डराया फिर भी जब उन्होंने न माना तो वह अज़ाब की भविष्यवाणी करके चले गये, क़ौम को जब ऐसे लक्षण नज़र आये जिनसे उनको हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम के सच्चे होने का विश्वास हो गया तो वे तौबा करने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह ने उनकी तौबा स्वीकार कर ली और उन्हें अज़ाब से बचा लिया।

6. अल्लाह तआला सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बना सकता था लेकिन चूंकि दुनिया के परीक्षा गृह में हर व्यक्ति से मांग है कि वह अपने मर्ज़ी व अधिकार से ईमान लाए, इसलिए ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करना न अल्लाह का तरीक़ा है और किसी और कि लिए यह अमल जाएज़ है, बस जो व्यक्ति अपनी समझ का सदोपयोग करके ईमान लाना चाहता है अल्लाह उसे सामर्थ्य देता है और जो बुद्धि से काम नहीं लेता उस पर कुफ़्र की गंदगी डाल दी जाती है।

7. हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संबोधित करके पूरी उम्मत का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

सबसे अच्छा सद्क़ा (दान):–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्ल0! कौन सा सद्क़ा सबसे ज़्यादा सवाब वाला है? आप सल्ल0 ने फरमाया– इस हाल में सद्क़ा करो कि तुम स्वस्थ हो, माल का शौक और लालच हो, मुहताजगी का खटका लगा हो (कि सारा माल ख़त्म हो कर हम गरीब न हो जाएं), मालदार होने की उम्मीद बँधी हो, और खर्च में टाल–मटोल मत करो कि जब मौत का वक़्त आ जाए तो वसीयत करने लगो कि फुलाँ का इतना हिस्सा, और फुलाँ का इतना हिस्सा, हालांकि वह फुलाँ का हो चुका है।

(बुखारी व मुस्लिम)

दुनिया की बेवक्अ़ती (तुच्छता):–

हज़रत उक़्बा बिन हारिस रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पीछे अस्र की नमाज़ पढ़ी, आप सल्ल0 ने सलाम फेरा, फिर जल्दी से उठे और लोगों की गर्दन फाँदते हुए बीवियों में से किसी के हुजरे में गये, आप सल्ल0 की इस जल्दी से लोग घबरा गये, कुछ देर के बाद आप बाहर आए तो आपने भांप लिया कि लोग आपकी जल्दी से अचम्भित हैं, तब आप सल्ल0 ने फरमाया कि मुझे याद पड़ा कि घर में चाँदी या सोने की डली रह गई है, यह मुझे पसन्द न आया कि वह दिमाग़ में उलझन पैदा करती रहे, इसलिए मैंने जा कर उसको बाँट देने की हिदायत दे दी।

(बुख़ारी)

इन्सान के अमल में अल्लाह की तरफ से भलाई का मामला:–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– एक आदमी ने कहा कि मैं कुछ सद्का ज़रूर करूँगा, वह सद्क़ा ले कर निकला और धोखे में एक चोर को दे दिया, सुबह को लोगों तक ये बात पहुँची कि चोर को सदका दे दिया, उस आदमी ने कहा– ऐ अल्लाह! सारी तरीफ़ तेरे ही लिए है, मैं कुछ ज़रूर सद्क़ा करूँगा, वह सदके का माल ले कर निकला और एक ज़ानिया (व्यभिचारी महिला) को दे दिया, सुबह को फिर लोगों में बातें होने लगीं कि फुलाँ ने ज़ानिया को सद्का दे दिया, उस आदमी को गलती की जानकारी हुई तो कहा– ऐ ख़ुदा! सारी तारीफ तेरे ही लिए है, मैंने तो ज़ानिया को सद्क़ा दे दिया, मैं फिर ज़रूर कुछ सद्क़ा करूँगा, वह सदके का माल ले कर निकला और एक मालदार को दे दिया, सुबह को फिर लोगों में चर्चा होने लगी कि एक मालदार को सदका दे दिया, उस आदमी ने कहा– मेरे अल्लाह! सारी तारीफ के लायक तू ही है, एक बार तो एक चोर को दे दिया, फिर दोबारा एक ज़ानिया को दे दिया, और तीसरी बार एक मालदार को दे दिया, फिर आया तो उससे कहा गया कि चोर को सदका देने में खुदा की तरफ़ से यह मस्लेहत थी कि शायद अब वह चोरी से बचे। ज़ानिया को देना भी शायद उस

को ज़िना से रोकने का कारण बन जाए, रहा मालदार तो हो सकता है कि उसको तुम्हारे इस अमल से नसीहत मिले और अल्लाह के दिए हुए माल में से वह भी खर्च करे।

(बुखारी)

मेहमान के आदर–सत्कार का बेहतरीन उदाहरणः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास आया और कहा– मैं एक मुहताज और परेशान हाल आदमी हूँ, आप सल्ल0 ने अपनी बीवियों में से किसी के पास भेजा कि कुछ हो तो लाओ, उन्होंने कहला भेजा कि उस खुदा की कसम! जिसने आपको हक बात ले कर भेजा है, पानी के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने दूसरी बीवी के पास भेजा, वहां से भी यही जवाब आया। आप सल्ल0 ने फरमाया– आज की रात इसकी मेहमानी कौन करेगा? कबीला अंसार में से एक आदमी ने कहा– ऐ अल्लाह के नबी! मैं। यह कह कर वे उस आदमी को लेकर अपने खेमे की तरफ़ गए, और अपनी बीवी से कहा हुजूर सल्ल0 के मेहमान की मेहमानी करो, और एक रिवायत में है कि उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ बच्चों का खाना है, अंसारी ने बीवी से कहा– बच्चों को किसी तरह बहला दो, और जब वह रात का खाना मागें तो किसी तरह बहला–फुसला कर सुला दो, और जब हमारा मेहमान खाने के लिए बैठे तो चिराग बुझा देना, और हम मेहमान पर ऐसा जाहिर करेंगे के मानो हम भी खाना खा रहे हैं। और फिर यह लोग खाने के लिए बैठ गये, मेहमान ने खाना खा लिया और इन दोनों (मियाँ–बीवी) ने भूखे रह कर रात गुज़ार दी, जब सुबह वह अंसारी हुजूर सल्ल0 की ख़िदमत में हाजिर हुए तो आप सल्ल0 ने फरमाया कि आज की रात अपने मेहमान के साथ तुम दोनों के व्यवहार से अल्लाह तआला बहुत ख़ुश हुआ।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल सल्ल0 माँगने वाले को वापस नहीं करते थेः–

हज़रत सहल बिन सअद रज़ि0 बयान करते हैं कि एक औरत बुनी हुई चादर ले कर अल्लाह के नबी सल्ल0 के पास आई और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्ल0 आपको पहनाने के लिए यह चादर मैंने अपने हाथ से बुनी है, हुजूर सल्ल0 ने उसको ले लिया, उस समय आपको उसकी ज़रूरत थी, फिर वही चादर आप अपने बदन पर रख कर हम लोगों के पास आए, एक आदमी ने कहा– यह चादर आप हमें दे दीजिए, यह तो बड़ी ख़ूबसूरत है। आप सल्ल0 ने फरमायाः अच्छा! फिर आप मजलिस में बैठ गए, कुछ देर के बाद वापस गए और चादर तह करके उस आदमी को भेज दी, लोगों ने उस आदमी से कहा– तुम ने यह अच्छा नहीं किया, हुजूर सल्ल0 ने इसको पहना, इस वक़्त वह उसके ज़रूरतमंद भी हैं, और तुमने यह चादर उन से मांग ली, जबकि तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 किसी मांगने वाले को वापस नहीं करते। उस आदमी ने कहाः चादर मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी, बल्कि मरने के बाद यही मेरा कफन हो, इसलिए मांगी है। हज़रत सहल रज़ि0 का बयान है कि वही चादर उस आदमी का कफ़न बनी।

(बुख़ारी)

शेष पृष्ठ ....13..पर

सम्पादकीय

दीनी मदरसों का तअ़लीमी साल

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

उपमहाद्वीप के छोटे बड़े लाखों मदरसों में रमज़ान शरीफ़ के बाद शव्वाल के महीने में तालिब इल्मों के दाख़िले की कार्यवाई शुरु हो जाती है जिसकी वजह से मदरसों में रौनक और बहार आ जाती है,यह विद्यार्थी, देश के कोने कोने से लम्बा सफ़र करके आते हैं और अपनी इल्मी प्यास बुझाते हैं, जिस इल्म को यह हासिल करते हैं उसको दूसरों तक पहुँचाते हैं, मदरसे के इन पढ़ने वाले तालिब इल्मों को ''तालिबाने उलूमे नबूवत'' और मेहमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहा जाता है, इन मदरसों का इतिहास बहुत पुराना है। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल0 जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिज़रत करके तशरीफ़ ले गये तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदी ताकि अल्लाह की इबादत के लिए नमाज़ क़ाएम की जाए, उसी मस्जिद के कोने में एक चबूतरा बनाया गया और उस पर साएबान डाला गया जिसके नीचे बैठ कर लोग इल्मे दीन हासिल करते थे, इस्लामी इतिहास में यह सबसे पहला मदरसा है, जो ''सुफ़्फ़ा'' के नाम से प्रसिद्ध है, इस मदरसे में पढ़ने वाले स्थानीय और दूरदराज़ से सफ़र करके आने वाले दोनों प्रकार के लोग थे, उनका निवास स्थान वही सुफ़्फ़ा था खाने का प्रबंध अल्लाह के नबी सल्ल0 की ओर से था। सहाब–ए– किराम की ओर से सहायता हो जाती थी, आम तौर पर निर्धन्ता और दरिद्रता वाली ज़िन्दगी थी परन्तु इसके बावजूद मदरसा सुफ़्फ़ा के तालिब इल्म, क़ुरआन हदीस का इल्म हासिल करने के लिए साबित क़दम रहे, मदरसा सुफ़्फ़ा के तालिब इल्मों में मशहूर सहाबि–ए–रसूल सल्ल0 हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 अन्हु हैं जो दस हज़ार हदीसों के रावी हैं। तारीख़ की किताबों से मालूम होता है कि सुफ़्फ़ा में इल्म दीन हासिल करने वालों की संख्या कभी कभी सत्तर तक पहुँच जाती थी। यह इस्लाम का पहला मदरसा बना, जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि अरबों में क़ाएम होने वाला पहला मदरसा साबित हुआ जिसके बाद पूरे इस्लामी जगत में जामिआत और मदरसे क़ाएम होते चले गये, आपने तारीख़ में जामे अज़हर मिस्र का नाम पढ़ा होगा जिसकी स्थापना फ़तिमी शासन काल में 970 ई0 में हुई थी। आरम्भ काल में यह छोटा मदरसा था बाद में वह विश्वविद्यालय बन गया। हमारे देश भारत वर्ष में बड़े मदरसों में दारुल उलूम देवबन्द, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर प्रसिद्ध है।

मदरसा, इस्लामी सोसाइटी और इस्लामी समाज की मौलिक आवश्यकता है अल्लाह के अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने अपने अमल से बता दिया कि मुसलमान कहीं भी हों उनके लिए मस्जिद और मदरसा ज़रूरी चीज़ है, इन

मदरसों की अर्थव्यवस्था स्वयं मुसलमान ही करते हैं। और उनकी सहायता ज़कात, सदक़ात और हदाया के रूप में होती है, रमज़ान शरीफ़ के महीने में मदरसों के प्रतिनिधि गाँव–गाँव, शहर–शहर जा कर अपने अपने मदरसों के लिए चन्दा करते हैं, और बहुत ही परिश्रम करते और कष्ट उठाते हैं। इन मदरसों की स्थापना का लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि इन्सान अपने वास्तविक स्वामी अल्लाह तआला की इबादत करे और उसका आज्ञापालन करे, उसके अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल0 का पूर्ण रूप से अनुसरण करे ताकि इस लोक और प्रलोक दोनों जहान में कामयाबी प्राप्त हो, यह मदरसे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ एक ही समय में वहां शिक्षा और दीक्षा दोनों काम होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के पढ़े हुए लोग देश और समाज के लिए लाभदायक और उपयोगी होते हैं, वह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षा से प्रभावित होते हैं जिन्होंने फ़रमाया था ''तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा'', उसने फरमाया था ''तुममें सबसे अच्छा आदमी वह है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाये'' उसने फ़रमाया ''ख़ुदा की क़सम वह शख़्स मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफ़ूज़ नहीं'' उदाहरण के तौर पर कुरआन हदीस की कुछ बातें प्रस्तुत की गईं जिनकी शिक्षा मदरसों में दी जाती है। जिनको सुन कर और पढ़ कर अनुभव कीजिए कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है।

प्रत्येक मुसलमान के लिए इस्लामी शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है इसके बिना वह सही ग़लत, जाएज़ नाजाएज़ और हलाल, हराम में अन्तर नहीं कर सकता, इसीलिए मदरसों का होना ज़रूरी है, नबी करीम सल्ल0 ने फ़रमाया ''इल्म दीन हासिल करने की कोशिश और तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है'' यह बात हमेशा याद रखने की है कि दीन में जो चीज़ फ़र्ज़ है उसका करना इबादत है, इसलिए दीन सीखना और दीनी बातें जानने की कोशिश करना भी इबादत है, अल्लाह के यहां इसका बहुत बड़ा सवाब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी बड़ी फ़जीलतें बयान फ़रमाई हैं– एक हदीस में है कि ''जो शख़्स दीन सीखने के लिए घर से निकले वह जब तक अपने घर वापस न आए वह अल्लाह के रास्ते में है'' (तिर्मिज़ी)। एक और हदीस में हैं कि– जो शख़्स दीन की तलब में और दीनी बातें सीखने के लिए किसी रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा'' (मुस्लिम)। हदीस शरीफ़ में है कि– ''जो शख़्स दीन को सीखने और जानने की इसलिए कोशिश करे कि उसके ज़रिये वह इस्लाम को ज़िन्दा करे यानी दूसरों में उसको फैलाए और लोगों को उसके मुताबिक़ चलाए और इसी बीच में उसको मौत आ जाए तो आख़िरत में वह पैग़म्बरों के इस क़दर क़रीब होगा कि उसके और पैग़म्बरों के दरमियान सिर्फ़ एक दर्जे का फ़र्क़ होगा'' (दारमी)

अल्लाह तआला हम सब को तौफ़ीक़ दे कि ख़ुद दीन सीखें और दूसरों को सिखाएं, ख़ुद दीन पर चलें और अल्लाह के दूसरे बन्दों को उस पर चलाने की कोशिश करें।

❖❖❖

इन्सानियत का तक़ाज़ा

हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा और उनको दुनिया में ज़िन्दगी गुज़ारने का रास्ता बताया और हुक्म दिया कि ज़िन्दगी गुज़ारने का जो वास्तविक तरीक़ा है तुमको उस पर अमल करना है लेकिन उनके बाद उस वास्तविक तरीक़े से लोग बहकते रहे इसलिए कि आदमी के साधन सीमित होते हैं और इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि आदमी उन इच्छाओं के दबाव से उचित रास्ते से भटक जाता है और उचित और सत्य रास्ता वह इन्सानी रास्ता है जो अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को बताया है, एक मौक़े पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''ऐ लोगो तुम्हारा रब पालनहार भी एक है तुम्हारा बाप भी एक है, साफ सुन लो किसी अरबी को ग़ैर अरबी पर और किसी ग़ैर अरबी को अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई श्रेष्ठता नहीं, अलावा तक़वे के, अल्लाह से डर कर गुनाहों से बचना तक़वा है''। आप सल्ल0 ने यह भी इरशाद फ़रमाया– सभी इन्सान आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बने हैं इस हदीस से तमाम इन्सानों को यह पैग़ाम दे दिया गया कि हर एक को अपनी हैसियत समझना चाहिए, यह ज़ेहन में रहना चाहिए कि वह बहुत तुच्छ चीज़ से बनाया गया है और वह अच्छा उसी समय बन सकता है जब वह अच्छा तरीक़ा अपनाये, लेकिन अगर वह मिट्टी में रहना पसन्द करता है तो ज़ाहिर है वह बुरी हालत में रहेगा और मिट्टी की जो हालत है वही हालत उसकी हो जाएगी यानी ज़िल्लत व रुस्वाई की हालत हो जाएगी, लेकिन अगर वह इस मिट्टी से निकलना चाहता है तो उसको बलन्द अख़लाक़ इख़तियार करने होंगे और यह रहस्य कुरआन मजीद में बता दिया गया है कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है और फिर तुमको बहुत अच्छी बातें और अच्छा तरीक़ा बता दिया है उनके ज़रिये तुम्हारे लिए यह मुमकिन है कि तुम मिट्टी से ऊँचे हो जाओ मिट्टी से निकल कर बलन्द हो जाओ लेकिन अगर तुम उससे नहीं निकलोगे और अपने को बलन्द करने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम ज़लील व रुस्वा होगे जैसे मिट्टी रुस्वा होती है, गोया अल्लाह तआला ने कयामत तक के लिए एक सिद्धान्त के तौर पर यह बात बयान फ़रमा दी कि जब हम इन्सान की हैसियत से ज़िन्दगी गुज़ारेंगे तो हम मिट्टी से बलन्द होंगे वरना फिर हम मिट्टी ही की हैसियत में रहेंगे जिस प्रकार जानवर होते हैं कि उनको मिट्टी से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया है, न मिट्टी से निकलने का रास्ता उनको बताया गया है वह मिट्टी ही में रहते हैं और उसी में चर लेते हैं। लेकिन इन्सान इससे बलन्द हैं और उसको बलन्दी हासिल करने का तरीक़ा भी बताया गया है कि जब तुम सब आदम की औलाद हो तो एक दूसरे के भाई हो, लिहाज़ा एक दूसरे की फ़िक्र भी रखो और तुम में बेहतर सिर्फ़ वही है जो ''तक़्वा'' इख़्तियार करे ''तक़्वा'' अरबी भाषा का शब्द है और यह अरबी के शब्द ''वक़ा–यक़ी–विक़ायतन'' से

बना है– जिसका अर्थ है अपने को बुरी बातों से बचाना, अपने को ख़तरे से बचाना, अपने को बुरी जगह या बुरी चीज़ से बचाना, यह सब अर्थ इस में सम्मिलित हैं। इस्लामी परिभाषा में हम ''तक़्वा'' का जो शब्द बोलते हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि अपने को बुरी बातों से बचाओ, अपने को ग़लत बातों से बचाओ और वह ग़लत बातें कौन सी हैं? वह भी हमको बताया गया है कि ग़लत बातें फ़लाँ फलाँ हैं लिहाज़ा जो व्यक्ति भी उन बातों से सावधान रहेगा और उन ग़लत बातों से अपने आपको बचाएगा उसको अच्छा और ऊँचा दर्जा दिया जाएगा और उसकी गणना उत्तम इन्सानों में होगी, इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने को बुरी बातों से नहीं बचाएगा वह उत्तम इन्सान नहीं हो सकता है। सोचने की बात यह है कि जब हम सब इन्सान हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान यह है कि अरब हो या अजम काला हो या गोरा आपस में तमाम इन्सान एक ही हैं और सब भाई भाई हैं इसलिए कि सब आदम की औलाद हैं यानी एक बाप की औलाद हैं तो क्यों न सब लोग उस मुक़ाम पर आने की कोशिश करें जिस पर आज इकट्ठा होने की सख़्त ज़रूरत है जो मुक़ाम हम को सिखाया और बताया गया है और वह यह कि हममें से हर इन्सान दूसरे इन्सान को अपना भाई समझे तो हर एक दूसरे से क़रीब होगा उसके फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझेगा, जैसे भाई भाई को समझता है वह उसके फ़ायदे को अपना फ़ाइदा और उसके नुक़सान को अपना नुक़सान समझता है, कुरआन व हदीस में यह फरमाया गया है कि सब इन्सान भाई भाई हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ वही व्यवहार अपनायें जो भाई भाई के साथ करता है और यह देखा गया है कि हर इन्सान चाहे जितना बुरा हो लेकिन बुरी बात को बुरा समझता है, झूट बोलने वाला कितना ही झूट बोले लेकिन अगर उससे मालूम किया जाए कि झूट अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? निस्संदेह वह यही कहेगा कि झूट बुरी चीज़ है इसी प्रकार यदि कोई आदमी किसी को कितनी तकलीफ़ पहुँचाता हो और बड़ा अत्याचारी हो लेकिन अगर उससे पूछा जाए और उसकी उचित राय ली जाए कि जुल्म, अत्याचार कैसी चीज़ है? तो वह भी यही कहेगा कि जुल्म बुरी चीज़ है इससे यह समझा जा सकता है कि अल्लाह तआला ने हर इन्सान में यह एहसास रखा है कि वह बुरे को बुरा समझता है और अच्छे को अच्छा समझता है।

इन्सानी स्वभाव का सामान्य जाएज़ा लेने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि तमाम इन्सान एक दूसरे के भाई हैं और अच्छे बुरे को समझते भी हैं तो हम सबको उसी हिसाब से हर एक से सम्बन्ध रखना चाहिए, हम सोसाइटी के हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करे, वह सोसाइटी चाहे एक धर्म की हो या अनेक धर्मों की हो, हमको यह निर्णय करना है कि बहैसियत इन्सान के आपस में एक दूसरे की हमदर्दी करेंगे, एक दूसरे की तकलीफ़ दूर करने की कोकिश करेंगे, एक दूसरे की तक़लीफ़ दूर करने की फ़िक्र करेंगे जैसे अपनी तक़लीफ़ दूर करते हैं, अपने भाई की तकलीफ़ दूर करते हैं, और अपने पड़ोसी की तकलीफ़ दूर करते हैं, ख़ुद कुर्आन मजीद में भी इन बातों का हुक्म है कि तुम अपने पड़ोसी का ख़्याल करो और अपने अज़ीज़ का ख़्याल करो लिहाज़ा सोसाइटी में अगर कोई हमारा रिश्तेदार है तो हम रिश्तेदारी के नाते उसका

ख़्याल करेंगे, अगर कोई हमारा पड़ोसी है तो पड़ोसी के लिहाज़ से उसका ख़्याल करेंगे और इस सिलसिले में कोई यह न समझे कि हमारा मज़हब कोई रोक लगाएगा, क्योंकि जब इन्सानी सतह पर कुछ करना हो तो मज़हब नहीं देखा जाता है, जब आप एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो उसमें मज़हब की बुन्याद पर एक दूसरे के साथ सुलूक़ करने की मनाही हरगिज़ नहीं है, बल्कि सुलूक़ करना प्रशंसित है, खास तौर पर जब कोई सोसाइटी संयुक्त धर्म और संयुक्त विचारों पर आधारित हो, ऐसी सूरत में हमें एक दूसरे का ख़्याल करना ज़रूरी होता है। इसलिए कि जब सोसाइटी में विभिन्न धर्मों और विभिन्न विचारों के मानने वाले होते हैं तो एक दूसरे को शक की निगाह से ज़्यादा देखते हैं, ऐसे समय में हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अच्छे आचरण और व्यवहार का प्रदर्शन करें ताकि यह जो दूरी है समाप्त हो जाए। हम एक इन्सान हैं इसलिए हमारे अन्दर अख़्लाक़ हैं हमारे अन्दर सदभावना है हमारे अन्दर एक दूसरे से हमदर्दी का जज़्बा है, हमारे अन्दर दूसरे के लिए महब्बत है जब हम इन्सान है तो हम को इन्सानी विशेषता एवं इन्सानी नैतिकता अपनानी चाहिए।

हमारे मुल्क हिन्दुस्तान में विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म विभिन्न वंश हैं, इसलिए यहां इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा सुलूक़ करें कि हम सब आपस में भाई भाई मालूम हों, आपस में ऐसी एकता पैदा हो जो इन्सानी एकता कहलाए न कि सियासी एकता, इसलिए कि सियासत तो नीतियों से चलती है लेकिन इन्सानी अख़लाक़ और इन्सानियत इस तरह नहीं चलती है।

❖❖❖

पृष्ठ .....08... का शेष

अतिरिक्त चीज़ ग़रीब को देने का हुक्मः—

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि0 बयान करते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्ल0 के साथ सफर में थे, एक आदमी अपनी सवारी पर सवार हो कर आया और दायें—बायें देखने लगा, आप सल्ल0 ने फरमायाः जिसके पास कोई ज़रूरत से ज़्यादा सवारी हो, वह उस आदमी को दे दे जिसके पास सवारी न हो, और जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सफर का सामान हो वह उसको दे दे जिसके पास सफर का सामान न हो, फिर आपने बहुत तरह के मालों का वर्णन किया, यहां तक कि हम यह समझने लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ में हममें से किसी का कोई हक़ नहीं। (मुस्लिम)

आपसी प्रेम और मुहब्बत का उदाहरणः—

हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्ल0 ने फरमायाः अश्अरियों के जंग के खर्च जब कम हो जाते थे और शहर में रहने वाले उनके बाल—बच्चों का खाना पीना भी कम होता, तो उनके पास जो कुछ होता उसको एक कपड़े में जमा करते, और फिर एक बर्तन से बराबर—बराबर आपस में बाँट लेते, वह हम में से हैं और हम उनमें से। (बुख़ारी व मुस्लिम)

खाने की बरकत (वृद्धि):—

हज़रत जाबिर रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः एक आदमी का खाना दो आदमियों के लिए काफी हो जाता है, और दो आदमियों का खाना चार आदमियों के लिए काफी हो जाता है और चार आदमियों का खाना आठ आदमियों के लिए काफी हो जाता है। (मुस्लिम)

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

अंतिम रसूलः–

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन्नबीयीन हैं, नबूवत के सिलसिले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया, आप के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, अल्लाह ताआला इरशाद फरमाते हैं– ''आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखरी नबी हैं'' हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ''मेरे बहुत से नाम हैं, मैं मुहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, और मैं माही हूं, अल्लाह ताआला मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाता है, और मैं हाशिर हूं, मेरे नक्शे क़दम पर लोग जमा होते हैं, और मैं आकिब हूं, ऐसा आक़िब कि अब मेरे बाद कोई नहीं।''

सारे जहानों के रसूलः–

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तमाम इंसानों और जिन्नातों के लिए है, अल्लाह ताआला इरशाद फरमातें हैं ***''और हमने आपको तमाम ही लोगों के लिए बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा''। (सूरः सबा आयत नंबर 28)***

''कह दीजिए ऐ लोगो! मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का पैगंबर हूं''।

(सूरह अल-आराफ आयत नंबर 158)

और इस कुरआन की वही मुझ पर इसी लिए की गई ताकि उसके जरिए मैं तुम्हें और जिस तक यह पहुंचे उसे ख़बरदार करूँ। एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ''नबी अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था और मुझे तमाम लोगों के लिए भेजा गया''।

दूसरी हदीस में आता है ''उस ज़ात की क़सम जिसके कब्ज़े में मुहम्मद की जान है, मेरी इस उम्मत में कोई भी शख़्स मेरे बारे में सुने, चाहे कोई भी हो, वह यहूदी हो या नसरानी हो, फिर वह उस पर ईमान ना लाए जो मैं लेकर आया हूं, और उसी हाल में मर जाए तो वह जहन्नामियों में से होगा ।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का दायरा सिर्फ इंसानों और जिन्नातों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आप तमाम जहानों के नबी हैं, इसी लिए अल्लाह ताआला फरवाते हैं, ***''और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है''। (सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 107)***

सबके मुताः–

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब उल इताअ़त हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाज़िम समझना ईमान बिर रिसालाः का अहम हिस्सा है, कि इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक आप की पैरवी को ज़रूरी न समझे, यहां यह बात साफ़ कर देना भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को ज़रूरी समझना यह ईमान का हिस्सा है और इसका संबंध अक़ीदा से है, और अगर कोई इसको नहीं मानता तो ईमान से बाहर है, और अगर कोई अक़ीदे के ऐतिबार से इताअत को जरूरी समझता है, लेकिन अमल में कोताही और गफ़लत हो जाती है तो वह शख़्स काफ़िर नहीं होगा, फासिक़ एवं पापी कहलायेगा ।

कुरआन मजीद में बीसों स्थान पर आपकी इताअत का हुक्म दिया गया है, इसको ऐन

ईमान क़रार दिया गया है, एक स्थान पर फरमाया है ''बस नहीं आपके रब की कसम! वह उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक वह अपने झगड़ों में आपको फैसला करने वाला ना बना लें, फिर आपके फैसले पर अपने जी में कोई तनगी महसूस ना करें, और पूरी तरह सरे तस्लीम ख़म कर दें ।

एक और जगह इरशाद है और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर तुम वाक़ई ईमान वाले हो।

एक जगह फरमाया आप कह दीजिए कि ''अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो फिर अगर वह मुंह फेर लें, तो अल्लाह इंकार करने वालों को पसंद नहीं फरमाता'' इस आयत से साफ़–साफ़ मालूम होता है कि अगर कोई नहीं मानता और फिर मुंह फेरता है तो वो काफिर है एक जगह विरोध करने वालों को सख़त अंजाम से डराया गया है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी मोल लेता है, तो बिला शुबह अल्लाह सख़्त सज़ा देने वाला है ।

अल्लाह तआ़ला ने कुर्आन–ए–मजीद में यह भी वजाहत फरमा दी कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है अगर कुर्आने मजीद में कोई हुक्म ज़ाहिरी तौर पर नज़र न आ रहा हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फ़रमाई हो तो वह अल्लाह की तरफ़ से समझी जाएगी, और उसको मानना ज़रूरी है, अल्लाह तआ़ला फरमाता है– जिसने रसूल की इताअ़त की उसने अल्लाह की इताअत की।

बशरियतः

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है और कुर्आन मजीद में कई जगह उसकी वजाहत है, सूरः कहफ़ की आख़िरी आयत में इरशाद है– कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं मेरे पास वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, सूरः हा–मीम सजदह में भी यही अल्फाज है ''कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं मेरे पास यह वही आती है, कि तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक माबूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्का के मुशरिकों को यह ऐतराज हुआ, कि यह कैसे रसूल हैं, इनके अंदर तो वही सिफात और वही तक़ाजे हैं, जो एक इंसान में होते हैं, कुरआन–ए–मजीद में उनका यह ऐतिराज नक़ल किया गया है, इरशाद होता है ''और वह कहते हैं यह कैसे रसूल हैं खाना खाते हैं और बाज़ारों में चलते फिरते हैं कोई फरिश्ता उनके साथ क्यों नहीं उतार दिया गया, कि वह उनके साथ डराने को रहता ''फिर आगे उसका जवाब भी दिया गया है इरशाद रब्बानी है'' और आपसे पहले हमने जो रसूल भेजे हैं वह सब खाना खाते और बाजारों में चलते फिरते ही थे'' सूरः बनी इसराईल में और साफ़–साफ़ बात बताई गई है। पहले मुशरिकीने मक्का के मुतालबात का बयान है कुर्आने मजीद उनको नक़ल कर रहा है। ''और वह बोले कि हम तो उस वक्त तक आप को मानने वाले नहीं जब तक आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी ना कर दें, या आपके लिए खजूर और अंगूर का बाग हो फिर आप उसके बीच से नहरें निकाल दें, या जैसा कि आपका ख्याल है कि आप हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दें, या अल्लाह को और फरिश्तों को निगाहों के सामने ले आऐं, या सोने का आपका कोई घर हो, या आप आसमान पर चढ़ जाऐं, और हम तो आपके चढ़ जाने को भी उस वक्त तक न मानेंगे जब तक आप कोई ऐसी किताब लेकर ना आएं जिसको हम पढ़ सकें''।

❖❖❖

ज़िन्दगी का असल सरमाया:
ख़ुदा और रसूल की मुहब्बत है

मौ0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0

सहाबा की मुहब्बत की कुछ घटनाएंः–

सहाब–ए–किराम को अल्लाह ने जिस प्रकार बाह्य और आंतरिक (ज़ाहिरी व बातिनी) असाधाण कमालात और विशेषताओं से सुसज्जित किया था उसी तरह उनके अन्दर प्रेम व मुहब्बत जान निछावर करने और अल्लाह व रसूल के लिए सब कुछ कुरबान कर देने का जज्बा अपनी पूरी तवानाई (उर्जा) और कमाल के साथ मौजूद था।

अगर सहाब–ए–किराम का इतिहास देखा जाए तो मालूम होगा कि उनमें से हर शख्स अपने अन्दर मुहब्बत की अदा की सुन्दरता का कोई न कोई पहलू रखता है। रफ़ीक़े गार सच्चे आशिक सिद्दीके अकबर (हज़रत अबूबक्र) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत में सरशार और हर तरह की कुरबानी देने को हमेशा तैयार रहते थे ।

अगरचः यह अपनी क़ौम में प्रतिष्ठित थे न जाने कितने कुचले पिसे मुसलमानों को उठा चुके थे, कितने लोगों को कलमा पढ़ा चुके थे लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि मक्का के मुश्रिकीन उन पर पिल पड़े और इतना मारा पीटा कि यकीन हो गया कि वह इस संसार से विदा हो गये । मौत का यकीन होने पर हाथ रोका लेकिन खुदा का ऐसा करना कि वह बच गये। घर पर देर में होश आया। आँखें खोलीं तो महबूब के जलवे की इच्छा हुई कहने वालों ने कहा कि जिनकी खातिर यह तक़लीफ़ उठानी पड़ी फिर उन्हीं का ज़िक्र? सुनते ही तड़प गये बेचैन हो कर ज़बान से निकला जब तब आँखें उनके दर्शन से रौशन नहीं हो जातीं उस समय तक खाना पीना हराम है।

जब रात का सन्नाटा हुआ तो अपनी माँ और उम्मे जमील के सहारे महबूब के दरबार में हाज़िर हो गये देखते ही सारा कष्ट दूर हो गया परेशानी काफ़ूर हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाहने वाले को देख कर रो पड़े। इसी मुहब्बत का चमत्कार था कि सौर गुफा (ग़ारे सौर) में सिद्धीक अकबर पहले गये कि अपने महबूब के लिए जगह साफ़ कर दें ताकि कोई मामूली तकलीफ न पहुँच पाए। पूरी हिज़रत (यात्रा) में प्रेमी और प्रिय आशिक और माशूक़ की दिल लुभावन अदाओं के आकाश और धरती भी प्रशंसा करते रहे। कभी रश्क (ईर्ष्या) की निगाहों से तमाशा–ए– मुहब्बत देखते और बाद में आने वालों को पैगामें मुहब्बत सुनाते और कुरबानी के जज़्बे का पाठ पढ़ाते रहे।

हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ि0 को मुश्रिकीन पकड़ लेते है। अब वह उनके रहमोकरम (दया) पर है कि एक गुलामे मुहम्मद हाथ आया मुहब्बत का इम्तिहान होता है, सूली की तैयारी है। आवाज़ें कसे जा रहे है फबतियां उड़ाई जा रही है एक ने सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर तुम्हारी जगह मुहम्मद होते और तुम अपने घर आराम और चैन से होते तो कैसा था? सुनते ही मुहब्बत से भरा दिल का पैमाना छलक गया। फरमाया सुन ऐ मूर्ख। मैं तो यह भी सोच नहीं सकता कि हमारे हज़रत को एक काटां भी चुभे और मैं सुख शान्ति से रहूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुजैफ़ा सहमी को रूमियों ने बन्दी बना लिया उनके साथी भी गिरफ़्तार हुए। ईसाइयों ने तो पहले

लालच दिया कि अगर ईसाई हो जाओ तो पद सम्मान और धन दौलत से मालामाल कर दिये जाओगे लेकिन जब उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ तो उन्होंने धमकियों का सहारा लिया। डराते धमकाते कष्ट पहुँचाते रहे। उसका भी कोई असर नहीं हुआ अन्त मे उनको ला कर यह कहा कि आज अगर नहीं मानते तो खौलते हुए तेल मे डाल दिया जाएगा उनके एक साथी को उनके सामने डाला भी गया नतीजा मालूम था उनको भी उसके निकट लाया गया ताकि उनको भी खौलते तेल में डाल दिया जाए उन की आँखों से आँसू जारी हो गए यह देख कर ईसाई समझे कि यह डर गए सम्बोधित कर के कहा बोलो अब तो स्वीकार करलो। उन्होंने उसका ऐसा उत्तर दिया जिसका उनको ख्याल भी नहीं हो सकता था। उन्होंने फरमाया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा यह हश्र (परिणाम) होने वाला है मैं इस ख्याल से रो रहा हूँ कि मेरी एक अकेली जान है अभी वह चली जाएगी काश हर रोएं से अब्दुल्लाह निकलता और तमाम बार उसको खौलते हुए तेल में डालते ताकि अल्लाह के सामने हज़ार जानें पेश करके सुरखुरू (प्रसन्न) हो सकता।

ऐ दिल तमाम नफ़अ़ है सौदा ए–इश्क में।
इक जान का जियां है सो ऐसा जियां नहीं।।

जंगे उहद के अवसर पर एक खातून (महिला) आती हैं। रास्ते में भाई, पति, बेटे, की शहादत की सूचना मिलती है। हर बार वह यही पूछती है, हमारे हुजूर सल्ल0 कैसे हैं? इस पर यह कहा जाता है वह ख़ैरियत से हैं। कहती है मैं ज़रा उन का दर्शन कर लू देखते ही उनकी ज़बान से यह वाक्य निकल पड़ता है। आपके होते हुए हर मुसीबत हेच (तुच्छ) है। मुहब्बत की अदाएं निराली होती हैं। आँखों में महबूब का जलवा (छवि) और दिल में उसका ख़्याल। न जान उसकी होती न सोच न माल उसका होता है न धन। गुलशने इश्क के फूल गुलिस्तां (पुष्प वाटिका) की आबरू होते हैं और कौसे क़ज़ह (इन्द्र धनुष) से ज़ियादा सुन्दर होते है। उसमें दाख़िल होने वाले अज़ाद होते हैं। क्योंकि मुहब्बत व इश्क का क़लावह (तौक़) अपनी गर्दन में डाल कर हर चीज़ से आज़ाद हो जाते है।

मुआविया बिन क़िर्रः दरबार में हाज़िर हुए हैं। दिल बेताब है आँखें बेकरार जलव–ए–हुस्नो जमाल (रसूलुल्लाह की सुन्दर छवि) सामने आता है। नज़र गले पर पड़ती है, बटन खुला हुआ था। यह अदा बाप बेटे के दिल में ऐसी समाई कि पूरी ज़िन्दगी दोनों ने गले के बटन नहीं लगाए।

हज़रत सल्लाहु अलैहि व सल्लम के सेवक सय्यदना अनस रज़ि0 ने उनको लौकी के टुकड़े बड़े रूचि व उल्लास से खाते देखा पसन्द बदल गई। लौकी ऐसी पसन्द हो गई कि उसी को खाना सपन्द करते थे कि उनकी चीज़ों से महबूब की अदाएं और उसकी दिलनवाज़ी झलकती थी।

पसन्द उनकी पसन्द अपनी
नज़र उनकी नज़र अपनी।
पसन्द अपनी, नज़र अपनी
नहीं होती मुहब्बत में।।

पाकबाज़ आशिकों और पवित्र प्रेमियों और जान निछावर करने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके लिए बड़े–बड़े दफ़्तर नाकाफी हैं। यह चन्द घटनाएं इसलिए बयान कर दी गईं कि इश्क के दावेदार और मुहब्बत के इच्छुक इससे फायदा उठा सकें और जो इस नेअ़मत (सुख सामग्री) से वंचित हैं वह भी अपने दिल को दिल बना सकें–

मुहब्बत को समझना है
तो ऐ ज़ाहिद मुहब्बत कर।
किनारे से कभी अन्दाज़े
तूफां हो नहीं सकता।

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

ब्राह्मण के जीवन का गहन अध्ययनः—

उसके जीवन का चौथा चरण अंतिम चरण होता है। इस चरण में वह लाल कपड़ा पहनता है। हाथ में सोटा रखता है। लगातार ध्यान अर्थात चिन्तन में लगा रहता है। दिल को शत्रुता और मन को लालच, क्रोध से पाक रखता है। ताकि वह सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त करे और संसार की ओर न लौटे। उसको किसी सांसारिक कार्य से कोई मतलब नहीं होता है। पुण्य के लिए किसी गाँव में जाता है तो एक दिन से अधिक उसके लिए ठहरना वैध नहीं है। शहर में पाँच दिन ठहर सकता है। इस तरह ठहरने में कोई उसको कोई चीज़ दे तो उसमें से दूसरे दिन के लिए कुछ बचाए न रखे।

ब्राह्मण के सामान्य कर्तव्य यह हैं कि जीवन भर भले कर्म करता रहे। दान दे और दान ले। सदैव कुछ न कुछ पढ़ता रहे, यज्ञ पूरा करे, आग की निगरानी करता रहे, उसको बुझने न दे ताकि मरने के बाद उसी में जलाया जाए, इसी का नाम सोम (होम) है। सुबह को उठ कर नहाये ताकि सोते समय शरीर के छेद ढीले हो जाने से जो गन्दगी पैदा हो गयी हो वह दूर हो जाए। नहा कर सूरज की तरफ़ दोनों हथेलियों को जोड़ कर दोनों अँगूठों पर अपनी रीति के अनुसार दण्डवत करे। क्योंकि सूरज ही उनके नज़दीक क़िब्ला या केन्द्र है। अपना मुँह दक्षिण के अतिरिक्त किसी और तरफ़ हो। दक्षिण की ओर कोई भला काम नहीं किया जाता है। दोपहर के समय स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए वह उस समय भी नहाए। सायं का समय रात के खाने और पूजा का समय होता है। इसलिए वह सायं को भी नहाए। यद्यपि दोपहर और सायं का नहाना सुबह के स्नान की तरह अनिवार्य नहीं है।

उसको केवल दो बार खाना चाहिए। दोपहर और रात के समय जब वह खाने पर बैठे तो एक या दो व्यक्तियों विशेष रूप से अजनबी ब्राह्मणों के लिए दान करे। कुछ जानवरों, चिड़ियों और आग के लिए अलग करे। शेष ईश्वर का नाम ले कर स्वयं खाये और जो बच जाए, वह ज़रूरतमंदों के लिए बचा कर रख दे ताकि जो भी उस रास्ते से गुज़रे, चाहे इंसान हो या जानवर उसको खा ले। ब्राह्मण के खाने—पीने का बर्तन बिल्कुल अलग हो। उसको ऐसे देश में रहना वैद्य नहीं जहाँ वह घास पैदा नहीं होती हो जिसकी अँगूठी वह अपनी छोटी उँगली में पहनता है और जिसके अन्दर काले बाल के हिरण न चरते हों। घर में हर खाने वाले ब्राह्मण की जगह अर्थात मण्डल को गोबर से लीपा जाता है। उसका आकार वर्गाकार होता है। खाने के बाद वह धोया और लीपा जाता है ताकि फिर से पवित्र हो। ब्राह्मण के लिए प्याज, लहसन, कद्दू, करनचन और नाली जैसी तरकारियाँ खाना पूरी तरह अवैध है।

क्षत्रिय के जीवन का अध्ययनः—

क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का सामाजिक जीवन लिखने में अल बैरूनी ने कुछ कंजूसी से काम लिया है, संभवतः इसलिए कि वह ब्राह्मणों से अधिक प्रभावित

रहा हो। लिखता है कि क्षत्रिय वेद पढ़ना सीख सकता है लेकिन उसकी शिक्षा नहीं दे सकता। वह पुराण के उन आदेशों का भी पालन कर सकता है, उसका चौका त्रिभुजाकार होता है। उसकी ज़िम्मेदारी राज करना और लोगों के पक्ष में लड़ना है। जब वह 12 वर्ष का होता है तो धागे का और एक मोटे कपड़े का जनेऊ पहनाया जाता है।

वेश्य के कर्त्तव्यः–

वैश्य का काम काश्तकारी, घर बनाना, मवेशी की रखवाली और ब्राह्मणों की आवश्यकताओं को पूरी करना है। उसके लिए केवल दो धागे का जनेऊ पहनना वैध है।

शूद्र की हैसियतः–

शूद्र की हैसियत ब्राह्मण के दास की है। उसके लिए माला जपना, वेद पढ़ना और आग के यज्ञ करना मना है। यदि शूद्र का वैश्य के बारे में यह सिद्ध हो जाए कि उसने वेद पढ़ा तो ब्राह्मण की सूचना पर राजा उसकी जीभ काट लेता है। हाँ, ईश्वर का गुणगान करना भलाई के काम करना या दान देना उसके लिए मना नहीं है। वह जनेऊ भी पहन सकता है लेकिन मोटे कपड़े की एक परत से अधिक न हो।

अल बैरूनी को इस भेदभाव से दुख पहुँचा था। इसलिए स्वयं एक हिन्दू विद्वान के माध्यम से उसको यह लिख कर ग़लत घोषित कर दिया है कि यह सारा भेदभाव और ऊँच–नीच का परिणाम है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को अधीन या दास बना लेता है। अन्यथा वासुदेव ने मुक्ति चाहने वाले के लिए कहा किः ''बुद्धिमान के निकट ब्राह्मण और चंडाल, मित्र और शत्रु अमानतदार और ख़यानत करने वाला, साँप और नेवला बराबर हैं। और यदि बुद्धि सबको समान ठहराती है तो भेदभाव और श्रेष्ठता अज्ञानता की पैदा की हुई है।

शूद्र के बारे में अल बैरूनी का कथन है कि हिन्दुओं में सम्पत्ति को ब्याज से बढ़ाना हराम है और उसके माध्यम से मूलधन पर जितना अधिक पाप होगा, केवल शूद्र को इस शर्त के साथ ब्याज लेने की अनुमति है कि लाभ मूलधन के 50वें भाग से बढ़ने न पाये।

हिन्दुओं के निकट वैध और अवैध चीज़ें:–

हिन्दुओं के खाने–पीने की वैध और अवैध चीज़ों का उल्लेख करते हुए अल बैरूनी की जानकारी यह है कि बकरी, भेड़, हिरन, खरगोश, गेण्डा, भैंस, मछली, पानी के पक्षी, गौरेया, फ़ाख़्ता, बटेर, कबूतर और मोर वैध हैं, गाय, घोड़ा, ख़च्चर, गधा, ऊँट, हाथी, पाली हुई मुर्गी, कौआ, तोता, कोयल, अण्डे और शराब अवैध हैं। आश्चर्य की बात है कि अल बैरूनी ने हिन्दुओं के लिए भैंस को भी वैध बताया है हालांकि अब उनके लिए गाय की तरह भैंस भी अवैध है। अल बैरूनी ने कुछ लोगों के कथन के अनुसार लिखा है कि महाभारत के युद्ध से पहले गाय हिन्दुओं में वैध थी और कुछ यज्ञों में गाय ज़बहः की जाती थी फिर अवैध कर दी गयी। इसके अवैध होने का एक कारण यह भी लिखा है कि गाय का माँस भारी होता है। ब्राह्मण उसे खा कर आसानी से पचा नहीं पाते थे। इसलिए उसको हराम घोषित कर दिया गया। लेकिन स्वयं अल बैरूनी ने अपनी ओर से यह लिखा है कि इसका बछड़ा यात्रा, माल ढोने और खेती के काम आता है, स्वयं दूध देती है जो घर के कामों में प्रयोग होता है, इसके गोबर से लाभ उठाया जाता है और यह आश्चर्यजनक बात लिखी है कि उसकी साँस से भी जाड़े के दिनों में लाभ उठाया जाता है। इन्हीं बातों से वह अवैध घोषित कर दी गयी।

शेष पृष्ठ ....33..पर

शिक्षक के गुण

अफ़ज़ल हुसैन

विद्यार्थीयों के शिक्षण प्रशिक्षण में शिक्षक के अपने व्यक्तित्व की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी जानेअनजाने शिक्षकों से बराबर प्रभावित होते रहते हैं और यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि जीवन भर साफ़ तौर से महसूस किया जा सकता है।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 का व्यक्तित्व मानवता के लिए नमूना है, इसलिए शिक्षकों को नबी सल्ल0 के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को विशेष रूप से सामने रखना चाहिए ताकि वे उनकी रौशनी में अपने व्यक्तित्व को ढाल सकें और अपना चरित्र छात्रों के समक्ष प्रकट कर सकें।

आप सल्ल0 का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और प्रभावी था, जो देखता आप की ओर खिंचता और आपका इशारा पा कर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहता। शिक्षकों को भी अपने भीतर इन गुणों की झलक लानी चाहिए ताकि छात्र उनसे बिदकने के बजाय उनके पास आएं, ध्यान से उनकी बातें सुनें और शिक्षक का प्रभाव ग्रहण करें इन विशेषताओं के बिना शिक्षक अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभा सकता।

जीवन के हर छोटे बड़े मामले में आप सल्ल0 का तरीक़ा अनुकरणीय है। आप सल्ल0 का पूरा जीवन एक खुली हुई किताब है, कुछ भी गुप्त नहीं है। जिन बातों की आप सल्ल0 शिक्षा देते उनका स्वयं भी पालन करते। विद्यार्थी भी शिक्षक की बातों से अधिक उसके व्यवहार का अनुकरण करते हैं, इसलिए शिक्षक को भी अपने जीवन के सभी पहलुओं पर बराबर नज़र रखनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को अनुकरण के लिए अच्छा नमूना मिले। दूसरी सूरत में शिक्षकों की गलतियों का दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही, गलत रवैया का जो प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा उसका दोष भी शिक्षक पर होगा।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का व्यक्तित्व ज्ञान और दूरगामी सोच से परिपूर्ण था हर एक शिक्षक को ज्ञान और दूरगामी सोच से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सही और पूर्ण ज्ञान के बिना विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती और दूरगामी सोच के बिना सही ढंग से उनका प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षण के काम के लिए बड़ी दूरगामी सोच चाहिए। शिक्षक को बराबर अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान के मामले में छात्र अपने शिक्षक को ही आदर्श समझते हैं। गर शिक्षक को स्वयं अपने ज्ञान पर भरोसा न हो तो छात्रों का विश्वास टूटेगा। अगर किसी बारे में सही जानकारी न हो, तो ग़लत बातें बताने के बजाय अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए। जानकारी प्राप्त कर बाद में विद्यार्थी को बता देना चाहिए। इससे छात्रों का भरोसा बना रहेगा और शिक्षक झूठ बोलने से बचा रहेगा। हदीस शरीफ में है कि–

''अगर किसी ने बिना ज्ञान के कोई बात बता दी तो उसका दोष बताने वाले पर होगा।''

अल्लाह के नबी सल्ल0 ने स्वयं कई सवालों के जवाब में अज्ञानता स्वीकार की है और जब अल्लाह की ओर से प्रकाशना आई तो बता दिया।

क्षमा करने और धैर्य से काम लेने में अल्लाह के रसूल

सल्ल0 अपनी मिसाल आप थे शिक्षकों को भी नादान बच्चों का सामना होता है, जिनसे हर समय गलतियों और भूलों की संभावना रहती है, इसलिए वही शिक्षक सफल हो सकता है, जिसमें ये गुण पाये जाते हों, चिड़चिड़े और गुस्सा करने वाले लोग कभी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 के शिष्टाचार और मिलनसारी का यह हाल था कि अपने, पराये, दोस्त, दुश्मन यहां तक कि उनसे भी जिन्हें आप पसन्द नहीं करते थे सबसे मुस्कराते हुए मिलते। शिक्षक को भी बहुत शिष्ट और मिलनसार होना चाहिए। शिक्षकों का भी हर तरह के लोगों से सामना होता है और उनके सहयोग की ज़रूरत होती है। इन गुणों के बिना यह अपना दायित्व नहीं निभा सकता।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 की सीधी सच्ची शिक्षाओं का जवाब नादानों ने ईंट, पत्थर से दिया, मगर आप अन्त तक उनके सुधार के प्रयास करते रहे और अन्ततः सफल हुए। शिक्षक को भी शिक्षण, प्रशिक्षण और सुधार की ओर से न तो निराश होना चाहिए और न विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को निराश होने देना चाहिए।

बलिदान, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा रखने में अल्लाह के रसूल सल्ल0 अपनी मिसाल आप थे। शिक्षक को भी इस गुण से सुसज्जित होना चाहिए। जिसे संसार और सांसारिक सुख अधिक प्रिय हो, उसे इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 को ज़िम्मेदारी का एहसास इतना अधिक था और आप इतने लगन के साथ काम करते थे कि अल्लाह तआला ने खुद फ़रमाया, शायद आप अपने आपको इनके पीछे मार डालेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण बहुत ही कठिन कार्य है। शिक्षक भी इन गुणों के बिना अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभा सकता।

स्थिति चाहे कैसी भी जटिल हो नबी सल्ल0 बड़ी तत्वदर्शिता से उसे सुलझा देते और हर पक्ष संतुष्ट हो जाता। शिक्षक को भी आये दिन कक्षा में और कक्षा के बाहर भी तरह तरह के मामलों का सामना करना पड़ता है। अगर निपटने की योग्यता न हो तो शिक्षक को बड़ी कठिनाई होगी।

बच्चों से नबी सल्ल0 को असाधारण स्नेह था उनकी बचकाना हरकतों की आप बहुत ज़ियादा अनदेखी करते थे। आपने कभी किसी बच्चे को नहीं पीटा और मारने के लिए कहा भी तो आख़िरी उपाय के तौर पर। शिक्षक को भी अपने अन्दर ये गुण पैदा करना चाहिए।

शिक्षक का स्वर

किसी पाठ का प्रभावी और सफल होना बहुत हद तक शिक्षक के स्वर पर निर्भर करता है। स्वर अगर आकर्षक और मीठा हो तो विद्यार्थी आसानी से आकर्षित होते हैं और पाठ में नीरसता या उकताहट महसूस नहीं करते। स्वर अगर कर्कश हो या शिक्षक अगर बहुत चीख कर बोले तो कानों को बुरा लगता है, विद्यार्थी जल्दी उकता जाते हैं और थकान महसूस करने लगते हैं कर्कश स्वर से तो छोटे बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। वे डरे सहमे रहते हैं और शिक्षक की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते।

शिक्षक के स्वास्थ्य के लिए भी चीख़ना चिल्लाना हानिकारक है। गला भी खराब हो जाता है और फ़ेफ़ड़े भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसी तरह अधिक बोलना और जरूरत के बिना बोलना बातों का प्रभाव कम कर देता है। स्वर के मामले में शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह के रसूल सल्ल0 के आदर्श से निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। पाठ को प्रभावशाली और उपयोगी बनाने के लिए

इनका पालन आवश्यक है।

1. अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्ल0 का स्वर न बहुत ऊँचा होता और न बहुत धीमा। हां ज़रूरत पड़ने पर आप इतनी ऊँची आवाज़ में बोलते कि सामने वाला सुन सके। शिक्षक को भी अपनी आवाज़ न इतनी ऊँची रखनी चाहिए कि कानों को बुरी लगे और न इतनी धीमी कि सुनाई न पड़े।

2. अल्लाह के रसूल सल्ल0 पूरी बात मुंह भरकर बोलते थे। ऐसा नहीं कि आधी बात अन्दर ही रह जाए। शिक्षक को भी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। नबी सल्ल0 जब बोलते थे तो वाक्यों के अंतिम शब्द और शबदों के अंतिम अक्षर तक स्पष्ट सुनाई देते थे। शिक्षक को भी इसका अभ्यास करना चाहिए। शब्दों का उच्चारण सही हो तो बात भी अच्छी तरह समझ में आएगी और विद्यार्थी के उच्चारण का सुधार भी होगा।

3. अल्लाह के रसूल सल्ल0 के स्वर में आवश्यकतानुसार उतार चढ़ाव होता था। शिक्षक को भी एक ही सुर में बोलने से बचना चाहिए और स्वर में आवश्यकतानुसर उतार– चढ़ाव पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।

4. अल्लाह के रसूल सल्ल0 के स्वर में बनावट बिल्कुल नहीं थी। शिक्षक को भी अपने स्वर में स्वाभाविक अंदाज़ अपनाना चाहिए। कुछ शिक्षक मुंह टेढ़ा करके बोलने और आवाज़ में बनावट पैदा करने में अपनी शान समझते हैं, हालांकि इसकी वजह से वे विद्यार्थियों की नज़र में हास्यास्पद बन जाते हैं।

5. अल्लाह के रसूल सल्ल0 ज़रूरत भर बोलते थे, ज़्यादा बोलने और बेकार बातें करने से आप पनाह मांगते थे। शिक्षकों को भी बहुत बोलना पड़ता है, इसलिए बोलने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। बिना ज़रूरत बोलने और बेकार बातें करने से बचना चाहिए।

शिक्षक की भाषा

छात्रों की शिक्षा– दीक्षा में शिक्षक की भाषा की भी बड़ी भूमिका होती है। विद्यार्थी चाहे अनचाहे अपने शिक्षक की भाषा बोलने लगते हैं। इसलिए शिक्षक को भाषा के प्रयोग में बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर शिक्षक की भाषा दोषपूर्ण होगी तो छात्रों की भाषा भी दोषपूर्ण हो जाएगी। इस विषय में अल्लाह के रसूल सल्ल0 से हमें निम्नलिखित मार्गदर्शन मिलता है–

1. अल्लाह के रसूल सल्ल0 बहुत ही साफ़, सादा और आमजनों की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करते थे। पेचीदा और अलंकारयुक्त भाषा बोलने से बचते थे। कोई भी मुद्दा हो ऐसी भाषा में बताते कि अनपढ़ और साधारण योग्यता के लोग भी अच्छी तरह समझ लेते। शिक्षक का भी छोटे बच्चों से सामना होता है, जिनका शब्द ज्ञान बहुत सीमित होता है। अगर बोलने में इसका ध्यान न रखा गया तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्ल0 कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात बता देते। वाक्य छोटे और शब्द सारगर्भित होते। शिक्षक को भी चाहिए कि छोटे –छोटे वाक्यों और कम शब्दों में अपनी पूरी बात रख दे।

2. अल्लाह के रसूल सल्ल0 उन बातों को इशारों में बताते जिन्हें विस्तारपूर्वक बताना शालीनता के विरुद्ध होता। शिक्षक को भी शालीनता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की भाषा में भी गुण पैदा हो। ग़लत भाषा और असभ्य बात से शिक्षकों को स्वयं भी बचना चाहिए और विद्यार्थियों का भी समय पर सुधार करना चाहिए। बच्चों की भाषा में अक्सर असभ्य और बाज़ारी शब्द प्रवेश करते हैं। बच्चों को इससे रोकना चाहिए।

.....जारी.....

❖❖❖

खुदा खुदा करके भरम टूटा

इं0 जावेद इक़बाल

जमीयत उलेमा–ए–हिन्द के सरबराह हजरत मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत के 34वें तीन दिवसीय अधिवेशन में लाखों के जन सैलाब के सामने बोलते हुए स्पष्ट शब्दों में उस हकीक़त को बयान करके एक वैचारिक भूकंप ला खड़ा कर दिया है जिस की इस देश को मुद्दत से जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने अपने बयान में खुल कर कहा कि ओम (ॐ) और अल्लाह (اللہ) को ही महान शक्ति के भाषा के आधार पर दो अलग–अलग नाम हैं। अरबी भाषा में जिसे हम अल्लाह कहते हैं उसी सर्वशक्तिमान सृष्टा को हमारे हिन्दू भाई ओम (ॐ) कहते हैं। फारसी भाषा में ख़ुदा और इंग्लिश में गाड (God) उसी मालिक के नाम हैं। भाषाओं के बदलने से हक़ीक़त नहीं बदला करती। मौलाना अरशद मदनी ने आदम और हव्वा का तथा शीस नबी, इदरीस नबी और नूह अलैहिस्सलाम पर भी जन समूह के सामने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि धरती पर आने वाले पहले इन्सान को कुर्आन की भाषा में आदम कहा जाता है, उनकी पत्नी को हम हव्वा कहते हैं जबकि हमारे हिन्दू भाई पहले इंसान को मनु और उनकी पत्नी को हव्यवति कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मौलाना ने मनु शब्द के साथ स्वयंभूवु शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसके कारण एक भ्रम पैदा हो गया है क्योंकि मनु कई हुए हैं। बहरहाल इन तथ्यों को बयान करने का मक़सद मौलाना का यह था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा भी कि पहला इंसान केवल इंसान ही नहीं बल्कि वह अल्लाह का नबी भी था, वही अल्लाह जो ओम भी है, वह एक अकेला है उसका जैसा दूसरा कोई नहीं। आदम या मनु उसी एक सर्वशक्तिमान की इबादत करते थे यही इस्लाम की शिक्षा है अतः भारत का पहला धर्म भी इस्लाम ही था।

हमें खुशी इस बात की है कि जिस हक़ीक़त को पिछले तीस पैंतीस साल पहले से कुछ विद्वानों के द्वारा इस विषय पर अवाम में जागरूकता पैदा करने का जो प्रयास किया जाता रहा है वह बहुत सीमित दायरे में ही रहा क्योंकि मामूली मामूली बातों पर उनके प्रयासों का विरोध किया जाता रहा, कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी सराहना नहीं की गई। अब ''देर आयद दुरुस्त आयद'' के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी संस्था और दारुल उलूम देवबंद के सरबराह के द्वारा इतने बड़े जनसमूह के सामने इन विचारों को बयान किया जाना इस देश में एक नई चर्चा को आरंभ करने का जरिया बनेगा और इस्लाम धर्म का कोई आलिम इसका विरोध नहीं कर सकेगा। बदले हुए इन हालात में जरूरत इस बात की है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विस्तार से अध्ययन किया जाए और देश बंधुओं (बिरादराने वतन) तक उन्हीं के धर्म ग्रंथों के हवाले से हक़ीक़तों को उजागर किया जाय। कहना ग़लत न होगा कि नए सिरे से किसी अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। इन विषयों पर हिन्दू–मुस्लिम अनेक विद्वानों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया हुआ है, उनके द्वारा किए गए तहक़ीक़ी कामों से फायदा उठा कर काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब बात उनके धर्म ग्रंथों की आती है तो हमें मानव रचित ग्रंथों और ईश्वर द्वारा उतारे गए ग्रंथों या पांडुलिपियों (सहीफों) के अंतर को समझना भी जरूरी है। क्योंकि

हम मुसलमान यहां फिर भ्रम में फंस जाते हैं और देशबंधुओं के सभी ग्रंथों का विरोध करने पर आमादा हो जाते हैं। जरा गौर फरमायें कुरआन कह रहा है कि हमने कोई बस्ती ऐसी हलाक़ नहीं की जिसमें आगाह (सावधान) करने वाले न भेजे हों हम पहले समझाते हैं (26:208) और यह भी फरमाया कि हम ने हर रसूल को उसकी क़ौमी जबान में भेजा (14:4) मौलाना अरशद मदनी यही तो कह रहे हैं कि आदम, शीष, इदरीस और फिर नूह अलैहिस्सलाम इस देश में आए। ऐसी बात है तो फिर ख़ुदा का पैगाम भी इस देश की जबान में ही यहां आया होगा और तूफाने नूह में फैली तबाही से पहले हिदायत भी ज़रूर आई होगी, चाहे ग्रंथ के रूप में और चाहे पांडुलिपियों (सहीफों) की शक्ल में। नबी का बुनियादी पैग़ाम एक मालिक की इबादत की ओर बुलाना होता है जो कि इस्लाम का आधार है, लिहाज़ा इस देश का पहला धर्म इस्लाम ही ठहरा। यह हक़ीक़त सनातन धर्म की संस्कृत की किताबों में आज भी महफूज़ है मगर इन बातों को अवाम के सामने बयान नहीं किया जाता। अब हमारी जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम अपने देश बंधुओं (बिरादराने वतन) को इन हक़ीक़तों से प्रेम पूर्वक आगाह करें। अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के पास भेजते वक़्त यही तो हिदायत दी थी कि उसके पास जाओ और उसे नरमी से समझाओ शायद कि वह नसीहत प्राप्त करें, वह बहुत सरकश हो गया है।

बड़े ही दुःख की बात है कि हमारे देश बंधुओं को इतना भ्रमित कर दिया गया है कि उन्हें ईशवाणी (वह्य) और मानव रचित पुस्तकों का अंतर भी नहीं मालूम। उनके लाशऊर में थोड़ा बहुत यह तो महफूज है कि वेद ग्रंथों में ईशवाणी है मगर महत्व उनके निकट मानव रचित ग्रंथों का ही है।

हम को यह मानने की क़तई ज़रूरत नहीं कि वेदों में पूरी पूरी ईशवाणी सुरक्षित है क्योंकि हजारों वर्ष पहले के उस जमाने में लिखने की कला का अविष्कार ही नहीं हुआ था, नबियों की नसीहतें जबानी याद की जाती थीं, जाहिर है कि वह कितनी सुरक्षित रह सकी होंगी। मगर अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत से तौहीद, आख़िरत और रिसालत के मजामीन को महफूज़ रखा। इतना ही नहीं उस मालिक ने अपने महबूब और आखिरी रसूल का तजकरा भी इन ग्रंथों में महफूज़ रखा है, जैसे कि अल्लाह तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तजकरा हर धर्म की आसमानी किताबों में महफूज रखा है। सूरः साफ़्फ़ात में फरमाया गया है, हमने नूह की घटना को यादगार निशानी के तौर पर सुरक्षित कर दिया है ताकि याद रखने वाला कोई कान याद रख सके। कुछ इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का तजकरा महफूज़ करने की बात सूरः क़मर और सूरः अल हाक़्क़ह में भी कही गई है। यही वजह है कि वेद ग्रंथों में नूह अलैहिस्सलाम का तज़करा विस्तारपूर्वक महफूज़ है।

इन पंक्तियों के लेखक द्वारा इस विषय पर उर्दू भाषा में एक किताब की रचना कुछ वर्ष पहले की गई थी जिसमें विस्तार से इन हक़ीक़तों को उजागर किया गया है। किताब का नाम है– ''वैदिक काल से जमाना–हाल तक'' बिरादरान–ए–वतन का मजहब। वैदिक ग्रंथों में वहदानियत, आखिरी और रिसालत के तजकरों से वाक़फियत अब वक़्त की जरूरत बन चुकी है ताकि अवाम तक एक अल्लाह की अबदी हक़ीक़त के पैग़ाम को पहुंचाया जा सके। सच्चा राही के माध्यम से इस किताब को हासिल किया जा सकता है। मूल्य मात्रः 50/–

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

–मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः एक सरकारी नौकर ग्रेज्वटी फार्म में अपनी बीवी का नाम लिख देता है, उस नौकर के वफ़ात पाने के बाद, ग्रेज्वटी की रक़म पर सिर्फ बीवी का हक़ होगा या दूसरे वर्सा का भी? उस रक़म से मरने वाले नौकर का कर्ज अदा किया जा सकता है या नहीं?

उत्तरः ग्रेज्वटी फार्म में जो नाम लिखाया जाता है वह रक़म वसूल करने के लिए होता है, ग्रेज्वटी या प्रावेडेण्ट फण्ड की रक़म मरने वाले नौकर का तर्का होता है उस रक़म से पहले मरने वाले का कर्ज अदा करेंगे और अगर बीवी का महर बाक़ी है तो उसे अदा करेंगे उसके बाद जो रक़म बची रहेगी उसको तमाम वरसा में शरीअत के मुताबिक़ तक़्सीम करेंगे। उस रक़म की सिर्फ बीवी हक़दार नहीं हो सकती।

(रद्दे मुहतारः 493/10)

प्रश्नः जो पेंशन सरकारी नौकर के मरने के बाद उसकी बीवी को मिलती है, क्या उस पेंशन में मरने वाले नौकर के दूसरे वरसा का भी हक़ है?

उत्तरः मरने वाले सरकारी नौकर की बीवी को जो पेंशन मिलती है वह सरकारी वरदान है, वह उसकी बीवी ही का हक़ है, वह रक़म करने वाले का तर्का नहीं है इसलिए पेंशन की वह रक़म वरसा में तक़्सीम न होगी।

(रद्दे मुहतारः 493/10)

प्रश्नः अगर कोई मुसलमान नमाज़ में सूर–ए–फ़ातिहा और दूसरी सूरतें ज़बान चलाए बिना दिल ही दिल में पढ़े तो नमाज़ हो जाएगी या नहीं?

उत्तरः नमाज़ की नीयत दिल में की जा सकती है और ज़बान से भी अदा की जा सकती है मगर तकबीरे तहरीमा ज़बान से अदा करना फ़र्ज़ है अगर ज़बान से तक़बीरे तहरीमा "अल्लाहु अकबर" न कहे तो नमाज़ न होगी। इसी प्रकार सूर–ए–फातिहा और दूसरी सूरतें ज़बान चलाये बिना दिल ही दिल में पढ़ेगा तो नमाज़ न होगी अलबत्ता खुदा न करे ज़बान में कोई मरज हो और ज़बान न चलाई जा सके तो दिल ही दिल में सूर–ए–फातिहा और दूसरी सूरतें पढ़ लेने से नमाज़ हो जायेगी।

प्रश्नः एक सरकारी नौकर मुहलिक मरज (जान लेवा बीमारी) में मुबतला था उसको इलाज के लिए सरकार से अच्छी रक़म मिली जो उसकी बीवी के कब्जे में आई, मरीज की वफ़ात हो गई वह रक़म ख़र्च न हुई अब उस रक़म में तमाम वरसा का हक़ है या सिर्फ उसकी बीवी का?

उत्तरः सरकार से मिली हुई यह इम्दादी रक़म मरीज की हुई उसके मरने पर यह बची हुई रक़म तमाम वरसा में शरीअत के मुताबिक़ तक़्सीम होगी, कब्ज़ा कर लेने के सबब सिर्फ बीवी उसकी हक़दार नहीं हो सकती।

(रद्दे मुहतारः 493/10)

प्रश्नः एक शख़्स के कई लड़के थे उसने सब की शादियां कर दीं सिर्फ एक लड़के की शादी नहीं कर सका था कि उसकी वफ़ात हो गई, अब मरहूम के माल मतरूक़ा से उस लड़के की शादी का खर्च

निकाला जा सकता है या नहीं?

उत्तर: बाप ने अपनी ज़िन्दगी में जिन लड़कों की शादी कर दी उन पर एहसान किया बाप के मरने के बाद उसका तर्का तमाम वरसा में शरीअत के मुताबिक तक़्सीम होगा, तर्के से गैर शादी शुदा लड़के की शादी का खर्च नहीं निकाला जा सकता।

(रद्दे मुहतारः 493/10)

प्रश्न: एक शख़्स एक इमारत का मालिक था उस इमारत के एक हिस्से में बीवी के साथ रहता था बाकी इमारत किराये पर उठाये हुए था, आखिर वक़्त में जिस हिस्से में रहता था उसको अपनी बीवी के हक़ में वसीयत लिख दी, उसकी वफ़ात हो गई, वसीयत के मुताबिक वह हिस्सा बीवी को मिलेगा या नहीं और इमारत के किराये में तमाम वरसा का हक़ होगा या सिर्फ बीवी का?

उत्तर: बीवी के हक़ में वसीयत मोतबर नहीं जब तक तमाम वरसा राज़ी न हों बीवी उस हिस्से को अकेले नहीं ले सकती उसमें तमाम वरसा का हक़ है, इमारत का किराया तमाम वरसा में शरीअत के मुताबिक तक़सीम होगा।

(रद्दे मुहतारः 493/10)

प्रश्न: एक शख़्स ने बरसहा बरस अपने माल की ज़कात नहीं अदा की, उसकी वफ़ात हो गई अब वह माल वरसा का हक होगा या नहीं?

उत्तर: ज़कात दिये बिना जो माल छोड़ कर कोई शख़्स वफ़ात पा गया वह माल उसके वरसा का हक़ है अगर मरने वाले ने आख़िर वक़्त वसीयत की कि मेरे माल से ज़कात अदा कर दी जाये तो उसके तिहाई माल से उसकी पिछली ज़कात अदा की जायेगी।

(रद्दे मुहतारः 536/5)

प्रश्न: एक शख्स की वफ़ात हुई उसके कोई औलाद नहीं है, बीवी ने इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लिया, बीवी को अपने वफ़ात पाये हुए शौहर के तर्के में हिस्सा मिलेगा या नहीं?

उत्तर: दूसरा निकाह कर लेने से वह अपने वफ़ात पाए हुए शौहर के तर्के से महरूम न होगी बल्कि उसके तर्के से चौथाई हिस्सा पाएगी।

(दुर्रे मुख़्तार मअ़ रद्दे मुहतारः 529/10)

प्रश्न: एक शख़्स हाइड्रोसील का मरीज़ है, वह हज़ के दौरान एहराम की हालत में नीचे लंगोट बाँधने पर मजबूर है क्या उस पर दम वाजिब होगा?

उत्तर: उज़्र की वजह से लंगोट बाँधना जाइज़ है और उज़्र के बिना मकरूह है मगर उस पर कोई जज़ा वाजिब नहीं है, नैकर पहनना बहर हाल नाजाइज़ है और उस पर सिले हुए कपड़े की जज़ा वाजिब है।

प्रश्न: क्या टेलीफोन या इण्टरनेट या वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये निकाह हो सकता है?

उत्तर: इस्लामी निकाह के लिए यह ज़रूरी है कि इजाब व क़बूल मजलिसे अक़्द में गवाहों के सामने हो, टेलीफोन या इण्टरनेट या वीडियो कांफ्रेंसिंग से यह मुम्किन नहीं अल्बत्ता जवाज़ की यह शक्ल इख़्तियार की जा सकती है कि लड़का टेलीफोन या किसी ज़रिये से किसी आ़क़िल बालिग़ मुसलमान को अपनी तरफ से निकाह का वकील बना दे और वह वकील मजलिस में उसकी तरफ से इजाब व क़बूल करे, इस तरह निकाह हो जाएगा खुद लड़के से टेलीफोन पर इजाब व क़बूल कराने से निकाह नहीं होगा।

(अल–बहरुर्राइकः 3/83)

❖❖❖

उर्दू के आधार-स्तंभ

डॉ0 मुहम्मद अहमद

'उर्दू' शब्द तुर्की भाषा का है, जिसका अर्थ 'शिविर' अथवा सेना होता है। शाही शिविरों में तुर्की, ईरानी एवं भारतीय साथ–साथ रहते थे, इस कारण उनकी भाषा, जो इन तीनों भाषाओं की सम्मिश्रण थी, 'अहल–ए–उर्दू' (शिविर के लोगों) की भाषा अथवा अधिक सरल रूप में 'जुबान–ए–उर्दू' (शिविर की भाषा) कहलाई। यह जुबान–ए–उर्दू–ए–मुअल्ला अथवा प्रतिष्ठिता शिविर की भाषा भी कही जाती थी। शनैःशनैः 'जुबान' शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया और कुछ समय पश्चात भाषा 'उर्दू' के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। इस प्रकार शिविर ने विभाषा को इस सीमा तक प्रभावित किया कि इसे अपना नाम ही दे डाला। किन्तु इस क्षेत्रीय भाषा का व्याकरणिक रूप हिन्दी भाषा (खड़ी बोली) के ही समान है तथा केवल शब्द भण्डार में थोड़ा अंतर है, जिसकी शैली प्रारम्भ में बड़ी सरल और व्यवहारोपयोग्य थी। कालांतर में यह भाषा लिखी जाने लगी और केवल 'बोली' ही न रह गयी। चूंकि यह अधिकांशतः मुस्लिम प्रभुत्व सेना द्वारा व्यवहृत की जाती थी, इसका फ़ारसीलिपि में लिखा जाना स्वाभाविक था। इसमें फ़ारसी, अरबी तथा तुर्की जैसी भाषाओं के शब्दों का समावेश भी बहुतायत से होता है।

अपने प्रारम्भिक चरणों में उर्दू साहित्य का विकास एवं वृद्धि कुछ स्पष्ट नहीं है। अन्य भाषाओं के साहित्यों के समान इस भाषा के साहित्य का विकास पद्य से ही प्रारम्भ हुआ। अमीर खुसरो (1253–1325) प्रथम लेखक थे, जिन्होंने उर्दू भाषा का प्रयोग साहित्यिक उद्देश्य के लिए किया। परन्तु कई शताब्दियों तक उत्तर भारत में किसी विद्वान ने खुसरो का अनुसरण नहीं किया। 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के कतिपय प्रबुद्ध सुलतानों (जो स्वयं भी कवि थे) के संरक्षण में उर्दू कविता को प्रोत्साहन मिला। उनके दरबार में कुछ मुसलमान कवियों ने अपनी कविताओं में इसका प्रयोग किया। उनकी रचनाओं से उत्तर भारत में अधिक रुचि उत्पन्न हुई तथा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हातिम, आबरू, आरजू आदि कवियों ने दक्षिण के कवियों का अनुसरण करते हुए, उर्दू भाषा तथा शायरी की उन्नति में योगदान दिया।

इस प्रकार, उर्दू शायरी का केन्द्र दक्षिण भारत से परिवर्तित हो कर, दिल्ली हो गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'सौदा' एवं 'मीर' जैसे प्रख्यात शायरों का समय आया। इस युग में शायरी अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च स्तर की होनी लगी, यह बात इस युग के उत्कृष्ठ शायरों और उनकी उत्तम रचनाओं से स्पष्ट होती है। इन कवियों की रचनाएं इतने उच्च स्तर की थी कि उन्होंने भावी शायरों के लिए अनुकरणीय आदर्श एवं प्रतिमान प्रस्तुत किये।

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उर्दू साहित्य उत्तर भारत में फला–फूला। यह कथन उन साहित्यिक मनीषियों के प्रादुर्भाव से और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जिन्होंने उर्दू शायरी के क्षेत्र में एक नवीन ज्योति का संचार कर उसे जगमगा दिया। 'ग़ालिब' तथा 'ज़ौक़' के समय में, जो उर्दू साहित्य का स्वर्णयुग समझा जाता है, उर्दू साहित्य अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। इस युग में उर्दू गद्य, नाटक तथा पत्रकारिता की भी उन्नति हुई। इस समय की साहित्यिक की भी

उन्नति हुई। इस समय की साहित्यक कृतियों में तत्कालीन समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश पड़ता है।

उर्दू साहित्य के विभिन्न साहित्यिक मनीषियों की जीवनियाँ–

1. सौदा (1713–81):–

मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी 'सौदा' 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के उर्दू के सर्वश्रेष्ठ शायर माने जाते हैं। वे मिर्ज़ा मुहम्मद शफ़ी के पुत्र थे, जो मूल निवासी तो काबुल के थे, परन्तु दिल्ली में व्यापारी के रूप में बस गये थे। 'सौदा' का जन्म 1713 ई0 में हुआ था। उनका पोषण एवं शिक्षण दिल्ली में ही हुआ। सिराजुद्दीन अली ख़ान 'आरजू' की संगति में उनकी उर्दू शायरी में रुचि जागृत हुई। शीघ्र ही वे श्रेष्ठ और उच्च स्तर की शायरी करने लगे, जिससे वे जनसाधारण के प्रिय शायर हो गये। उनकी प्रसिद्धि से तत्कालीन बादशाह शाह आलम 'आफ़ताब' का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ, जो उनके शिष्य बन गये तथा उनसे अपनी रचनाओं का संशोधन कराने लगे।

कहते हैं कि एक बार बादशाह ने 'सौदा' को 'मलिकुश्शुअरा' (कवि सम्राट) की उपाधि प्रदान करने की इच्छा की, परन्तु कवि ने यह कह कर **प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उनका अपना कलाम ही उनके लिए वह उपाधि अर्जित करेगा। उनकी कृति 'शहर आशोब' ने, जो स्वयं बादशाह और उनके दरबारियों पर व्यंग्यपूर्ण रचना थी, बादशाह से उनके संबंध पूर्णतः बिगाड़ दिये। बहरहाल, वह अपने भरण–पोषण के लिए दिल्ली के दो रईसों– बसन्त ख़ाँ तथा मेहरबान ख़ाँ पर निर्भर रहने लगे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने जब सौदा की प्रतिभा के विषय में सुना, तो उन्हें फ़ैज़ाबाद आने का निमंत्रण दिया, परन्तु कवि ने उत्तर में यह रूबाई लिख कर नवाब के पास भिजवा दी।**

'सौदा' पए दुनिया तू बहर–सू कब तक?
आवारा अज़ीं–कूचा ब–आं–कू कब तक?
हासिल यही इससे न कि दुनिया होवे
बिल्फ़र्ज़ हुआ यूं भी तो फिर तू कब तक?

दुर्भाग्य से दिल्ली में उनके लिए सुविधापूर्ण जीवन की परिस्थितियां अधिक समय तक न रह सकीं।

'सौदा' की गणना उर्दू के महान शायरों में की जाती है, तथा वे उर्दू साहित्य में 'मीर' और 'ग़ालिब' के साथ ही शर्ष स्थान के अधिकारी हैं। वे प्रथम कवि हैं जिन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाओं को गंभीर रूप प्रदान किया। उनकी व्यंग्य तथा अन्य रचनाएं तत्कालीन उत्तरी भारत के लोगों के जीवन और दशा की दर्पण हैं।

सौदा ने निम्नलिखित रचनाएं कीं–

(1) फ़ारसी ग़ज़लों का अपूर्ण दीवान। (2) फ़ारसी के कतिपय क़सीदे। (3) उर्दू ग़ज़लों का दीवान। (4) चौबीस मसनवियां (5) दिल्ली तथा लखनऊ के उच्चश्रेणी के व्यक्तियों की प्रशंसा में क़सीदों का दीवान। (6) मीर के पद्यों की व्याख्या। (7) सलाम तथा मर्सिये। (8) पवित्र धार्मिक मनुष्यों की प्रशंसा में कविताएं। (9) 'इबरतुलग़ाफ़िलीन'– गद्य की पुस्तिका। (10) 'मीर' कृत मसनवी 'शोला–ए–इश्क़' का गद्य अनुवाद तथा (11) उर्दू कवियों का जीवन चरित्र, जो अब अप्रात्य है।

2. मीर तक़ी 'मीर' (1724–1810):–

मीर मुहम्मद तक़ी, जिनका कवि नाम 'मीर' था तथा सामन्यतः मीर तक़ी के नाम से विख्यात थे, अकबराबाद (आगरा) के आभिजात्य मीर अब्दुल्लाह के पुत्र थे। बचपन से ही मीर तक़ी में कवि प्रतिभा दृष्टिगोचर होने लगी थी। अपने पिता की मृत्यु के पाश्चात वे अपने चचा ख़ान आरजू (सिराजुद्दीन) के पास दिल्ली चले आये। ख़ान आरजू जो फ़ारसी के प्रसिद्ध शायर थे, उनकी देखभाल के

शेष पृष्ठ ....30..पर

एक शमअ रह गई थी सो वह भी ख़मोश है!

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

बहुत ही अफ़सोस नाक और तकलीफ़ देह ख़बर है कि मुरशिदे उम्मत हज़रत मौलाना सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी 13 अप्रैल 2023 ई0 बरोज़ जुमेरात इस दुनियाए फ़ानी से अपने मालिके हक़ीक़ी के पास चले गये और पूरी मिल्लते इस्लामिया को अपने पीछे सोगवार छोड़ गये, ''इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन''।

मिल्लते इस्लामिया में मौलाना मरहूम के शागिरदों का वह विराट जनसमूह है जो अन्तर्राष्ट्रीय है, मरहूम अपनी अनेकों विशेषताओं के साथ एक आदर्श और उत्तम शिक्षक भी थे, गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा गहरा होता है। मेरा सौभाग्य है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मौलाना जैसे महान बुजुर्ग से मेरा संबंध अर्द्ध शताब्दी से अधिक है, इस लम्बी मुद्दत में मौलाना मरहूम का व्यवहार शफ़क़त, मुहब्बत और सहानुभूति का रहा, विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 के आदेश पर मजलिस तहक़ीक़ात, नशरियात इस्लाम में काम शुरु किया, उस समय मौलाना राबे साहब रह0 मजलिस के सिक्रेट्री थे, इस प्रकार 25 वर्ष तक मौलाना के निर्देशन में काम करने का अवसर मिला।

मौलाना मरहूम नदवतुल उलमा से निकलने वाले हिन्दी मासिक पत्रिका ''सच्चा राही'' के संरक्षक थे, ''सच्चा राही'' के हर अंक में मौलाना मरहूम का कोई निबंध ज़रूर होता, फ़रमाते कि ''सच्चा राही'' की इशाअत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए।

मौलाना मरहूम नदवतुल उलमा जैसी विश्वव्यापी संस्था के नाज़िमे आला, आल इण्डिया मुस्लिम प्रसनल ला बोर्ड के अध्यक्ष और दीनी तालीमी कौंसिल के सदर और ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर लन्दन के चेयरमैन और विदेश में राबत–ए–आलमे इस्लामी मक्का मुअज़्ज़मा के सदस्य और जामिआ मदीना मुनव्वरा के सदस्य थे।

इल्मी दुनिया में मौलाना अपनी सलाहियत, योग्यता और सूझ–बूझ की वजह से सम्मानीय और हर वर्ग में लोकप्रिय थे, इल्मी व दीनी प्रोग्रामों में शिरकत के लिए देश–विदेश की लंबी यात्राएं कीं, उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना जाता था, लोग प्रभावित होते और फ़ाइदा उठाते, शिक्षा का मैदान मौलाना के लिए विशेष था। मौलाना भलीभांति शिक्षा प्रणाली से परिचित थे, जिस विषय को वह पढ़ाते थे उसमें उनका गहरा अध्यन होता था। जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बड़ा फ़ाइदा पहुँचता।

मौलाना शिक्षक के साथ एक अच्छे राइटर और लेखक भी थे, उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों के नाम निम्नलिखित हैं:– ''मनसूरात लिलअदबिल अरबी'', जज़ीरतुल अरब'', हज व मुकामाते हज'', ''दो महीने अमरीका में'', ''समाज व तालीम'', रहबरे इंसानियत'', मुहम्मद रसूलुल्लाह'' यह किताब उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, अरबी चार भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं और बड़ी संख्या में निकल रही है। यह किताब सरल भाषा और उमदा शैली में लिखी गई है, जिसके पढ़ने से दिल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और पढ़ने वाला सरलता और सुगमता के साथ नबी और ग़ैर नबी का अन्तर समझ लेता है। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।

मौलाना मरहूम की लोकप्रियता का यह बड़ा प्रमाण है कि देश के कोने कोने से

मौलाना की याद में ताजियती जलसे और शोक सभाएं हो रही हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी वास्तविक रूप से मुफ़क्किरे इस्लाम मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 के जानशीं थे, उन्होंने जानशीनी का पूरा हक़ अदा किया वह खानदान अल–मुल्लाही की निशानी थे, तवक्कुल व क़नाअत के पैकर थे। देश के विद्वानों ने मरहूम को जो अक़ीदत का नज़राना पेश किया है उससे मौलाना की महानता का अनुभव होता है। आल इण्डिया मिल्ली कौंसिल के जनरल सिक्रेट्री डॉ0 मुहम्मद मन्जूर आलम ने फ़रमाया ''मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी'' इत्तिहाद, यकजेहती के अलमबरदार थे'' और अज़ीम रहनुमा थे, ''मौजूदा हालात में आलमे इस्लाम को उनकी सख़्त ज़रूरत थी।'' आल इण्डिया तनज़ीम उलमाए हक़ के क़ौमी सदर मौलाना मुहम्मद एजाज़ उर्फी क़ासमी ने फ़रमाया ''उनके इन्तिक़ालम से आलमे इस्लाम में उमूमन और मिल्लते इस्लामिया हिन्द में एक बड़ा ख़ला पैदा हो गया है जिसका पुर होना फ़िलहाल मुमकिन नहीं।''

आस्माँ उनकी लहद पर शबनम अफ़शानी करे।
सब्ज़ ए नौरस्ता उस घर की निगहबानी करे

❖❖❖

पृष्ठ .....28... का शेष

साथ उनकी रचनाओं का निरीक्षण भी करते थे। उनकी कविताएं शीघ्र ही लोकप्रिय हो गयीं।

लखनऊ में नवाब आसिफुद्दौला ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया, परन्तु कतिपय घटनाओं से दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें दरबार से विदा लेनी पड़ी। इस प्रकार, 'मीर' को अति निर्धनता एवं भुखमरी की हालत में अपना जीवनयापन करना पड़ा। सन् 1810 ई0 में उनकी मृत्यु हो गयी।

यद्यपि 'आब–ए–हयात' में वर्णित 'मीर' के प्रकृतिविषयक कथनों और चुटकुलों पर अनेक व्यक्तियों ने आपत्ति प्रकट की है। तथापि इसमें संदेह नहीं कि वे आतिशय गंभीर, आत्म केन्द्रित, गर्वीले तथा संवेदनशील प्रकृ ति के थे।

तथापि मीर उर्दू के साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। ग़ज़ल लेखक के रूप में वे सर्वश्रेष्ठ हैं यहां तक कि ग़ालिब ने भी उन्हें एक उस्ताद के रूप में स्वीकार किया था–

रेख़्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो, 'ग़ालिब' कहते हैं अगले ज़माने में कोई 'मीर' भी था।

'मीर' बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उनकी रचनाएं निम्लिखित हैं– (1) रेख़्ता ग़ज़लों के छह बड़े दीवान। (2) फ़ारसी ग़ज़लों का एक दीवान। (3) मसनवियां (4) फ़ारसी में 'फ़ैज़–ए–मीर' नामक पुस्तिका (5) फ़ारसी में ही उर्दू कवियों की स्मृतांजलि 'नुकातुश्शुअरा'। (6) फ़ारसी में अपना आत्म–चरित्र 'ज़िक्र–ए–मीर'।

उनकी अनेक मसनवियों में विशेष रूप से उल्लेखिनीय ये हैं–

(1) 'अजगरनामा', जिसमें कवि ने स्वयं को ऐसा अजगर माना है जो छोटे कवि रूपी जीवों का निगल जाता है।

(2) 'शोला–ए–इश्क़' अथवा प्रेम ज्वाला।

(3) 'जोश–ए–इश्क़' अथवा 'प्रेमावेग'।

(4) 'दरिया–ए–इश्क़' अथवा प्रेमोदधि

(5) एजाज़–ए–इश्क़' अथवा 'प्रेम का चमत्कार'।

(6) 'ख़्वाब व ख़याल' अथवा 'स्वप्न और विचार'।

(7) 'मामालात–ए–इश्क़' अथवा प्रेम संव्यवहार'।

(8) मसनवी 'तंबीहुलख़्याल', जिसमें काव्यकला की प्रशंसा की गयी है।

(9) 'शिकारनामा' जो तीन मसनवियों का संग्रह है और जिसमें नवाब आसिफुद्दौला के शिकार–अभियानों का वर्णन है। (10) अनेक लघु मसनवियां।

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

–मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

–अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

सहीह मुस्लिम की एक रिवायत से गलतफहमी और उसका सुधारः–

कुछ विद्वानों को सही मुस्लिम की एक रिवायत से इस बारे में गलतफहमी हुई है हालांकि मुस्लिम शरीफ के मशहूर वर्णन कार और बड़े आलिम मुहिउद्दीन नववी ने और उनके अलावा दूसरे बहुत से उलमा ने इस रिवायत का सही मतलब बता दिया है, फिर भी अब तक कुछ लोग इसके जाहिर से दलील पेश कर देते हैं, यहां किसी पहलू को प्राथमिकता देने या न देने की बहस अथवा इस बारे में दलील पेश करना उद्देश्य नहीं है, अन्यथा अधिक विवरण प्रदान किया जाता। बस एक बात इस संदर्भ में जिक्र कर देना शायद नामुनासिब ना हो, वह यह कि इस रिवायत के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 हैं, अगर इस रिवायत का वही मतलब होता जो दलीलें पेश करने वाले बतलाते हैं तो खुद रावी ही उसका विरोध क्यों करते, यह बयान करने की तो जरूरत नहीं कि सहाबा के बारे में यह सोचा भी नहीं जा सकता है, कि वह हदीस–ए–रसूल सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम की जानकारी के पश्चात भी उस पर अमल न करें (जैसा कि आज कल हो रहा है), जिसका दिल चाहे मुवत्ता इमाम मालिक उठाकर देख ले इसमें खुले शब्दों में मौजूद है, कि एक आदमी ने इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु ताआला अनहु से कहा, कि मैंने अपनी बीवी को सौ तलाकें दे दी हैं, अब आपकी क्या राय है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु तआला अनहु ने फरमाया कि इस पर तीन तलाकें पड़ गईं, और निकाह बिल्कुल ख़त्म हो गया, (एक साथ इतनी ज़्यादा तलाक़ें देने पर डाँटते हुए फरमाया कि तूने अल्लाह की किताब से मज़ाक किया, अबू दाऊद में उन्हीं से रिवायत है कि एक दूसरे आदमी ने आकर अपनी बीवी को तीन तलाक़ देने का जिक्र किया तो उसको भी ऐसा ही जवाब दिया और कहा तूने खुदा की नाफरमानी की, और तेरा बीवी से रिश्ता–ए–निकाह बिल्कुल खत्म हो गया। उनके अलावा बहुत से सहाब–ए–किराम राज़िअल्लाहु तआला अनहुम से तीन तलाक़ों को वैध मानना साबित है, उन सहाबा में हज़रत उमर, हजरत अली, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल रहमान बिना औफ़ रज़िअल्लाहु तआला अनहुम शामिल हैं, इस किताब में यह घटना भी मौजूद है, हज़रत हसन बिन अली रज़िअल्लाहु तआला अनहु ने अपनी बीवी शहबा को तीन तलाकें दे दीं, पूरी तफ़सील के लिए मिरक़ात जिल्द अव्वल पेज 293–296 को देख लिया जाए, तफ़सील के सामने आ जाने के बाद यह जाहिर होता है कि जिन विद्वानों ने इस मसले पर इजमा नक़ल किया है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि इस खुले हुए बहुमत के बाद भी अगर किसी की बात उससे अलग मिलती है, तो उसे ना काबिल–ए–तवज्जो समझना

अन्याय नहीं हो सकता। इसी वजह से मशहूर विद्वान इब्ने हुमाम और इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाहि ने यह ठीक ही फरमाया है। कि जो लोग एक समय में तीन तलाक़ों के पड़ जाने से इनकार करते हैं उनके रद्द में दलीलें पेश करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि यह बात इजमा के खिलाफ है। इसी बिना पर इस्लामी विद्वानों ने कहा है कि अगर किसी जज ने फैसला दे दिया, कि एक समय में दी जाने वाली तीन तलाक़ों को एक ही समझा जाएगा, तो उसका फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा । क्योंकि यह ऐसा मसला नहीं कि इसमें इस इजतिहाद की गुंजाइश हो, इसलिए इसे इलमी एखतिलाफ नहीं कहा जा सकता बल्कि मुखालिफत कहना ही मुनासिब है।

एक अहम और नाजुक सवाल!:–

यहां तीन तलाक़ को तीन या एक मानने की बहस करना और उनमें से किसी एक चीज को प्राथमिकता देने न देने की दलीलें पेश करना उद्देश्य नहीं, इस वक्त सिर्फ यह कहना है कि उम्मते मुस्लिमा की अधिक संख्या जब एक वक्त में दी गयी तीन तलाक़ों को तीन ही वैध मानती है, तो ऐसा कहना या सलाह देना कि तीन तलाक़ों का विकल्प कानूनी रूप से खत्म कर देना चाहिए या तीन तलाक को कानूनी स्तर पर एक ही मानना चाहिए, अधिकांश मुसलमानों को कैसे स्वीकार्य होगा? इस तरह की सलाह देने वाले मसले के सिर्फ कानूनी पहलू पर ही नज़र रखते हैं, नैतिक या सही लफ़्ज़ों में धार्मिक पहलू तो उनके सामने होता ही नहीं या उसे वह महत्वहीन समझ कर अनदेखा कर देते हैं, हालांकि सभी विद्वान जानते हैं कि मुसलमानों के नजदीक वैवाहिक जीवन की स्थापना एवं समाप्ति दोनों कानूनी से ज्यादा धार्मिक व दीनी हैसियत रखते हैं, इस परिस्थिति को सामने रख कर सोचा जाए, कि भविष्य में किसी समय संसद यह कानून पारित कर दे, कि तीन तलाकों को प्रतिबंधित माना जाएगा, और उन्हें एक ही माना जाएगा, और इसके आधार पर न्यायालय यही फैसले देने लगें, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया कि कानूनी रूप से यह दोनों (मर्द व औरत) पति–पत्नी ही रहे, मगर असलियत यह है कि धार्मिक रूप से अधिकांश मुसलमानों के नजदीक उनका यह विवाह बंधन पूर्ण रूप से टूट चुका है, तो अब यह परेशानी पैदा हो जाएगी कि धार्मिक लोग किसी तरह गवारा ना करेंगे, कि वह पूरा जीवन हराम काम में व्यतीत करें। तो फिर क्या वह निजी संबंध से बचे रहें? क्या यह अभ्यास में आ सकता है? और इस तरह किसी समझदार इंसान के नजदीक क्या औरत को फायदा पहुंच सकता है? और क्या उसके जीवन के दिन अच्छे से गुजर सकते हैं? अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो साफ नजर आऐगा, कि इस तौर पर निकाह की क़ानूनी स्थापना खुद उस औरत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, जिसकी भलाई के लिए यह पापड़ बेले गए थे। क्योंकि अब वह ना तो किसी दूसरे शख्स से निकाह कर सकती है और ना ही पहले पति से शारीरिक संबंध बना सकती है। यहां उन लोगों से तो बहस नहीं जो नैतिकता एवं धर्म की जरा भी परवाह नहीं करते, कि हो सकता है उन्हें अपने लिए बहुत सी राहें खुली नजर आती हों, मगर असल में परेशानी उन लोगों के लिए है जो मजहब से रिश्ता जोड़े हुए हैं, और आखिरत के सवाल जवाब का पूरा यकीन रखते हैं,

और अल्लाह ताला का शुक्र है, कि अभी ऐसे लोगों की तादाद हिंदुस्तान में भी अधिक हद तक बाकी है तो क्या उन्हें अपनी दीनदारी की सजा मिलेगी? बहरहाल हमें इसमें शक नहीं कि एक समय में तीन तलाक देना सख्त ना पसंदीदा और निंदनीय कार्य है, बहुत सारी हदीस में इसकी कड़ी निंदा की गई है। जैसा कि एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम को बतलाया गया कि फलां शख्स ने अपनी बीवी को एक समय में तीन तलाक़ें दे डालीं, तो उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अहैहि व सल्लम गुस्से से उठ कर खड़े हो गए और फरमाया कि अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और वह भी मेरी मौजूदगी में! अब बताइये, क्या इन सावधानियों से तलाक की वैधता को सामान्य ज्ञान के अनुसार अनुचित या आवश्यक और अपरिहार्य माना जायेगा? और क्या इसे तलाक की पूर्ण स्वतंत्रता देना कहा जा सकता है? ज़ाहिर है कि इसके बाद भी अगर कोई पाबंदियों के खिलाफ़ कार्य करता है, और निर्धारित सीमा का उल्लंघन करता है तो यह उसका व्यक्तिगत कार्य होगा, यकीनन शरीयत की दृष्टि में निंदनीय है, अतः इसके सुधार के लिए शिक्षा फैलाने और लोगों को शरई अहकाम समझाने और आख़िरत में पकड़ का विश्वास ताज़ा करने की जरूरत है। ना कि तलाक़ का विकल्प छीन लेने या शरई अहकाम में काट छांट करने की।

.....ज़ारी.....

❖❖❖

पृष्ठ .....19... का शेष

हिन्दुओं के विवाह की विधियाँः–

किताब के अध्याय 69 में हिन्दुओं में विवाह का उल्लेख करते हुए अल बैरूनी लिखता है कि उनमें बाल–विवाह होता है, इसलिए उसको माता–पिता सम्पन्न कर देते हैं। इस समारोह में ब्राह्मण यज्ञ की रीतियाँ सम्पन्न करते हैं। ब्राह्मण और अब्राह्मण को दान दिया जाता है। खुशी के वाद्य यन्त्र बजाए जाते हैं। महर का रिवाज नहीं। हौसले के अनुसार औरत के साथ व्यवहार किया जाता है। उस समय जो कुछ दे दिया जाता है वापस लेना वैध नहीं होता। यहाँ तक कि औरत स्वयं अपनी खुशी से दान न कर दे पति और पत्नी के बीच मौत के सिवा कोई अलगाव नहीं होता। उनके यहाँ तलाक नहीं है।

अल बैरूनी ने एक तरह से यह आश्चर्यजनक बात लिख दी है कि हिन्दू पति को अधिकार है कि एक से अधिक चार पत्नी तक करे, चार से अधिक नहीं कर सकता। अल बैरूनी ने इसके प्रमाण में किसी धार्मिक किताब का हवाला नहीं दिया है लेकिन स्पष्ट है कि उसने किसी प्रमाण के आधार पर लिखा होगा। सामान्य विचार यही है कि बहुविवाह इस्लाम ही में है हिन्दू धर्म में नहीं। लेकिन अल बैरूनी के इस कथन से इस विचार की पुष्टि नहीं होती है। वह लिखता है कि ब्राह्मण के लिए चार, क्षत्रियों के लिए तीन, वैश्य के लिए दो और शूद्र के लिए एक ही पत्नी वैध है। विधवा को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है, वह या तो जीवन भर विधवा रहे, या जल कर मर जाए। विवाह का सम्बन्ध निकट सम्बन्धियों में नहीं होता है बल्कि उनमें होता है जो अपने ख़ानदान से बहुत दूर होते हैं, हर वर्ग के लिए स्वयं अपने वर्ग और उससे नीचे के वर्ग में विवाह करना वैध है, ऊपर के वर्ग में करना वैध नहीं है। सन्तान माँ की ओर से होती है, बाप की ओर से नहीं। अर्थात यदि ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण है तो सन्तान भी ब्राह्मण होगी और यदि शूद्र है तो सन्तान भी शूद्र होगी। लेकिन ब्राह्मण अपने वर्ग से बाहर विवाह नहीं करते।

.....जारी.....

❖❖❖

जहेज़ की रोक थाम

अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी नसीराबादी

शादी में धन की माँग तो, ज़ायज़ नहीं भाई।
यह भीख है सरा सर, जायज़ नहीं भाई।।

शादी तो एक बन्धन है, दो दिल के मिलन का।
गाड़ी की इसमें माँग तो, जायज़ नहीं भाई।।

लड़की के वाल्दैन का एहसान है तुम पर।
उनसे जहेज़ माँगना, जायज़ नहीं भाई।।

लड़की को पाल पोष के, ख़िदमत में दे दिया।
एहसान मानो उनका, धन जायज़ नहीं भाई।।

माँ ने जिगर के टुकड़े को, तोहफ़े में दे दिया।
रिश्वत भी उनसे माँगना, जायज़ नहीं भाई।।

जहेज़ की लानत से, अब बोझ है लड़की।
करना ख़राब माशरा, जायज़ नहीं भाई।।

इस्लामी तर्जे ज़िन्दगी, ख़ुशहाल बनाती।
गैरों की रस्म आ गयी, जायज़ नहीं भाई।।

जहेज़ की शादी तो, ससुराल की गुलामी।
हिन्दू हों चाहे मुस्लिम, जायज़ नहीं भाई।।

सिद्दीक़ी की तमन्ना, हर फ़र्द की तमन्ना
जहेज़ की लानत यह, जायज़ नहीं भाई।।

❖❖❖

नारी और कुरआन

डॉ0 फ़रहत हुसैन

महिलाएं हमारा आधा संसार हैं। दुर्भाग्य से उनके मामले में पुरुष प्रधान समाज संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपना सका। कभी उसे 'पाप जननी' 'नरक का द्वार' 'मूर्ख' 'कुमार्गगामी बनाने वाली' कहा गया। कभी नारी स्वतंत्रता के नाम पर उसे उसके कर्मस्थल, घर परिवार, से निकाल कर क्लब, फ़ैक्ट्री, सिनेमा और राजनीति में पहुँचाया तथा दोहरा शोषण किया। इस्लाम ने नारी के प्रति पूर्ण संतुलित एवं स्वाभाविक दृष्टिकोण अपनया। उसके कलंकों को धोया, उसे सम्मानजनक स्थान पर आसीन किया, उसकी इज़्ज़त आबरू की रक्षा की उसे आर्थिक अधिकार प्रदान किए उसके घर को उसकी वास्तविक कर्मस्थली बता कर उसे बाहरी जगत के दबाव, तनाव और पीड़ाजनक भागदौड़ से मुक्ति दिलायी ताकि वह एकाग्र मन से नई नस्ल को संवार सके। कुरआन की इस विषय से संबंधित मुख्य आयतों के अनुवाद को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए पवित्र कुर्आन, हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के कथनों तथा इस्लामी इतिहास का अध्ययन उचति होगा।

इस्लाम ने नारी के प्रति पूर्ण संतुलित एवं स्वाभाविक दृष्टिकोण अपनाया। उसके कलंकों को धोया, उसे सम्मानजनक स्थान पर आसीन किया, उसकी इज़्ज़त आबरू की रक्षा की उसे आर्थिक अधिकार प्रदान किये। उसके घर को उसकी वास्तविक कर्मस्थली बता कर उसे बाहरी जगत के दबाव, तनाव और पीड़ाजनक भागदौड़ से मुक्ति दिलायी ताकि वह एकाग्र मन से नई नस्ल को संवार सके।

नारी सुख शान्ति तथा प्रेम की प्रतीकः—

"ईश्वर ने तुम्हारे लिए स्वयं तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुख चैन पाओ, तथा तुम्हारे बीच प्रेमभाव तथा दयालुता रख दी।" (30:21)

स्त्री पुरुष की वस्त्र उपमाः—

"तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारे लिए वस्त्र समान हैं और तुम भी उनके लिए वस्त्र समान हो।" (2:187)

आशय यह है कि पति—पत्नी वस्त्र की भाँति एक दूसरे के लिए शोभा, सहायक और बुराई के प्रति कवच हैं।

समान अधिकारः—

"महिलाओं के भी वैसे ही अधिकार हैं, जैसे उनके प्रति पुरुषों के हैं, हाँ पुरुषों को उनके ऊपर एक दर्जा प्राप्त है।" (2:228)

समान अधिकार देते हुए पारिवारिक प्रबंध व्यवस्था के लिए पुरुष को घर के मुखिया के नाते मात्र एक श्रेणी की उच्चता दी है। पुरुष को स्त्री का स्वामी और स्त्री को दासी नहीं बनाया। एक दूसरे स्थान पर संरक्षक बताया गया है—

"मर्द औरतों के संरक्षक

हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अधिक सामर्थ्य दिया है तथा इसलिए भी कि वे अपना माल ख़र्च करते हैं।''

जायदाद में हिस्साः–

''पुरुषों का उस माल में हिस्सा है जो उनेक माता पिता तथा नातेदारों ने छोड़ा हो और स्त्रियों का भी उसमें हिस्सा है जो उनके माता पिता तथा नातेदारों ने छोड़ा हो।'' (4:07)

महर (विवाह धन) की प्राप्तिः–

''विवाह के समय स्त्रियों को उनका महर निश्चित रूप से अदा करो.... ।'' (4:04)

विवाह के समय पारस्परिक सहमति से तय की गयी रक़म पति द्वारा पत्नी को देना अनिवार्य है। जायदाद के अधिकार, यह महर की प्राप्ति आदि से नारी आर्थिक रूप से स्वालंबी रहती है।

माँ का रुतबाः–

''हमने इंसान को ताकीद की कि वह अपने माता–पिता से उत्तम व्यवहार करे। उसकी माँ ने कष्ट पर कष्ट सहन कर उसे गर्भ में रखा और पीड़ा के साथ उसे जना.. ।'' (46:15, 31:14)

बेटी के जन्म पर अप्रसन्नता व्यक्त करने की निन्दाः–

''जब उनमें से किसी को कन्या शिशु के जन्म की ख़ुशख़बरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वह दुख से घुटने लगता है।'' 6:58)

यहाँ इस्लाम ने पूर्ण अरबवासियों की बेटियों के बारे में सोच का चित्रण किया है जिसे इस्लाम ने पूर्णता से बदल दिया और कन्या के जन्म को शुभ समझा जाने लगा।

शिशु हत्या–कन्या हत्या जघन्य अपराधः–

''निर्धनता के डर से अपनी औलाद को क़त्ल न करो हम उन्हें भी आजिविका प्रदान करते हैं और तुम्हें भी। वास्तव में उनकी हत्या एक जघन्य अपराध है।'' (17:31)

कन्या शिशु से छुटकारा पाने की समाज की कुप्रथा भी अपराध है जो इस्लाम पूर्व अरब समाज में व्याप्त थी भारत में आज भी पायी जाती है। हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने कठोर शब्दों में इसकी निन्दा की तथा बेटियों के पालन पोषण को पुण्य का कार्य बताया। कन्या शिशुओं से छुटकारा पाने के लिए भ्रूण परीक्षण करा कर गर्भपात कराने का चलन बढ़ रहा है। इस्लाम इस कृत्य को भी जघन्य अपराध मानता है। कन्या वधके मामले में कहा गया–

''उस समय को याद करो जब ज़िन्दा दफ़न की गयी कन्या से पूछा जाएगा कि किस कुसूर में तुझे मार डाला गया।'' (8:8–9)

अपराध इतना क्रूरतापूर्ण और स्पष्ट है कि अपराधी से कुछ पूछने के बजाए क़यामत में उसी बच्ची से कहा जाएगा कि तेरा कुसूर क्या था, मात्र यह कि तू एक कन्या थी।

झूठा लांछन लगाने वाला कठोर दण्ड का भागीः–

''जो लोग पाकदामन औरतों पर दोषरोपण करें परन्तु चार गवाह प्रस्तुत न कर सकें उनको अस्सी कोड़े लगाओ और कभी उनकी गवाही स्वीकार न करो, वही अवज्ञाकारी हैं।''

(24:4)

इस्लामी क़ानून में सामान्यतया दो व्यक्तियों की गवाही पर्याप्त मानी जाती है इसलिए कुरआन के अध्याय 4 आयत 15 द्वारा इसके लिए चार गवाहों का प्रावधान किया गया। गवाहों के अभाव में यदि मुक़दमे की फ़ाइल यूं ही बन्द कर दी जाए तो आरोपित महिला पर

बदनामी का दाग़ बना रहता है। इसलिए उपरोक्त क़ानून द्वारा झूठे लांछन के विरुद्ध नारी की अति उत्तम सुरक्षा की गयी।

चरित्र हनन निन्दनीय कार्यः—

"जो लोग पाकदामन भोली-भाली ईमान वाली औरतों के चरित्र पर झूठा लांछन लगाते हैं उन पर धिक्कार है दुनिया में और परलोक में, तथा उनके लिए घोर यातना है।" (24:23)

"जो लोग ईमान वाले पुरुषों तथा स्त्रियों पर झूठे लांछन लगा कर उन्हें दुख पहुँचाते हैं उन्होंने अपने को इस लांछन और खुलेपाप के बोझ का अधिकारी बना लिया है।" (33:58)

स्त्रियाँ खेती की भाँतिः—

"तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारी खेतियां हैं। तुम्हें अधिकार है जिस प्रकार चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने भविष्य की चिन्ता करो और ईश्वर की अप्रसन्नता से बचो।" (2:223)

मासिक धर्मः—

"पूछते हैं- मासिक धर्म के बारे में क्या आदेश है? कहो वह एक गन्दगी की दशा है, उसमें अपनी पत्नियों से अगल रहो जब तक कि वे स्वच्छ न हो जाएं।" (2:222)

वैचारिक सामंजस्य ज़रूरीः—

तुम मुश्रिक (बहुदेववादी) स्त्रियों से कदापि विवाह न करना जब तक कि वे ईमान न ले आएं। एक आस्थावान दासी मुश्रिक कुलीन महिला से बेहतर है चाहे वह तुम्हें पसन्द हो। और अपनी स्त्रियों का विवाह बहुदेववादी पुरुषों से कभी न करना जब कि वे ईमान न ले आएं। एक ईमान वाला गुलाम मुश्रिक पुरुष से बेहतर है, यद्यपि वह तुम्हें बहुत प्रिय हो।" (2:221)

आस्था के आधार पर मतभेद दाम्पत्य जीवन के आनन्द को कड़वाहट में बदल देते हैं इसलिए मानव स्वाभानुकूल का उपरोक्त आदेश दिया गया है।

तलाक़ अन्तिम उपाय के रूप मेंः—

"जो लोग अपनी पत्नियों से न मिलने की क़सम खा बैठें उनके लिए अधिकतम चार महीने की मोहलत है। फिर यदि वे मेल कर लें तो अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दयावान है। और यदि वे तलाक़ की ठान लें तो अल्लाह सुनने और जानने वाला है।"

(2:266, 227)

पति पत्नी में गम्भीर मतभेद हो जाएं तो मेल कराने और पंचनिर्णय की प्रक्रिया क़ुरआन में बतायी गयी है। जिसमें दोनों ओर से प्रतिनिधि फ़ैसला करते हैं (देखें 4:35)।

मेल न होने की दशा में तलाक़ एक अन्तिम उपाय के रूप में है। औरत को भी तलाक़ लेने का अधिकार प्राप्त है। (देखें 2:229) अगर तलाक़ देनी हो तो पूर्ण विचार करके उसकी निर्धारित प्रक्रिया अपना कर दी जाए। अन्तिम उपाय को शुरु में ही जल्दबाज़ी में प्रयुक्त करना अनुचित है।

महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम की व्यवस्थाः—

"ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वे अपनी दृष्टि बचा कर रखें और अपनी इन्द्रियों की रक्षा करें... और ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वे भी अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपनी इन्द्रियों की रक्षा करें और अपने श्रृंगार का प्रदर्शन न करें सिवाय उसके जो स्वयं प्रदर्शित हो जाए, और अपने सीने पर अपनी ओढ़नी डाले रखें, और अपने पाँव ज़मीन पर मारती

हुई न चला करें कि जो श्रृंगार उन्होंने छिपा रखा है वह प्रकट हो जाए।'' (24:33-31)

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का मुख्य कारण लोगों में संयम का अभाव तथा औरतों का बन ठन कर अपनी सुन्दरता की नुमाइश है, यहां इसी से रोका गया है।

''अपने घरों में ठहरो शालीनता के साथ और अज्ञानकाल की भाँति अपनी सज-धज दिखाती न फिरो।'' (33:33)

''हे नबी अपनी पत्नियों, पुत्रियों तथा अन्य आस्थावान स्त्रियों से कह दीजिए कि जब वे बाहर निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें ताकि (कुलीन व सम्मानित स्त्रियों के रूप में) पहचान ली जाएं और सतायी न जाएं।'' (33:59)

''जब उनसे कोई चीज़ मांगो तो परदे के पीछे से मांगो, यह तुम्हारे व उसके दिलों की शुद्धता के लिए है।'' (33:53)

''जब किसी बाहरी व्यक्ति से बात करनी हो तो) खुर्रे स्वर में साफ़ बात करो ताकि यदि उस व्यक्ति के मन में खोट हो तो वह तुम्हारी ओर से किसी भ्रम में न पड़े।'' (33:32)

''ईमान वाले तुम अपने घरों के अतिरिक्त दूसरों के घरों में अनुमति के बग़ैर प्रवेश न करो।'' (24:27)

''व्यभिचार के निकट भी न जाओ यह अशलील कार्य और अत्यन्त बुरा मार्ग है।'' (17:32)

''अपनी दासियों को सांसारिक लाभ हेतु वेश्यावृत्ति पर मजबूर न करो।'' (24:32)

समान अधिकार देते हुए पारिवारिक प्रबंध व्यवस्था के लिए पुरुष को घर के मुखिया के नाते मात्र एक श्रेणी की उच्चता दी है। पुरुष को स्त्री का स्वामी और स्त्री को दासी नहीं बनाया।

नारी स्वतंत्रता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेक्स एजुकेशन आदि के नाम पर जो अश्लीलता फैलाई जा रही है उसके परिणामस्वरूप महिलाओं और किशोरियों के विरुद्ध जघन्य अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फ़िल्मों, टी0वी0 कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों में अशलीलता पर सुप्रीमकोर्ट ने भी आपत्ति जतायी है। इस परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कुर्आनी संदेश/निर्देश/आदेश बहुत प्रासंगिक हैं।

दाम्पत्य जीवन में व्यावहारिकता न कि भावुकता:-

स्त्रियों के साथ अच्छे ढंग से जीवन यापन करो। यदि तुम्हें वे नापसन्द हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो मगर अल्लाह ने उसमें बहुत भलाई रख दी हो।'' (4:19)

एक से अधिक पत्नियों की सशर्त अनुमति:-

''...तो स्त्रियों में से जो तुम्हारे लिए जायज़ हों दो-दो, तीन-तीन, चार-चार तक विवाह कर लो। परन्तु यदि तुम्हें डर हो कि न्याय न कर सकोगे तो फिर एक ही पत्नी पर बस करो।'' (4:03)

युद्ध आदि में पुरुषों की संख्या कम होना, पत्नी की शारीरिक अक्षमता, बाँझपन, पुरुष की असाधारण परिस्थिति अर्थात किसी हंगामी आवश्यकता के लिए बहुपत्नीत्व की अनुमति न्याय की शर्त के साथ दी गयी है। इन आदेशों से पूर्व अनगिनत पत्नियों का रिवाज था उसे समाप्त करके अधिकतम सीमा चार निश्चित कर दी गयी।

(कान्ति सितम्बर 2015 से ग्रहीत)

❖❖❖

मोबाइल में क़ैद होती ज़िन्दगी

शगुफ़्ता ज़ाकिर

मोबाइल आज के दौर में हर उम्र के लोगों की ज़रूरत बन गया है। बच्चे हों या बूढ़े सबके हाथ में मोबाइल देखने को मिल जाता है। वो सारे काम जिनको करने में घण्टों का वक़्त लगता था अब वो मोबाइल और इण्टरनेट की मदद से मिनटों में हो जाता है।

ये बात सच है कि मोबाइल ने हम सबकी ज़िन्दगी को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल अब हमारे रोजमर्रा की ज़िन्दगी का एक हिस्सा बन गया है। खबरें पढ़नी हों या फिर न्यूज़ सुननी हो, हिसाब–किताब करना हो या फिर शापिंग करनी हो, बैंक के काम करने हों या बिल जमा करना हो, वक़्त देखना हो या अलार्म लगाना हो या कोई और मालूमात चाहिए तो वो सारे काम मोबाइल के ज़रिये से ही होते हैं।

लेकिन जहाँ मोबाइल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं वहीं इसके बहुत ज़्यादा नुक़सान भी हैं। मोबाइल से होने वाली जिस्मानी और ज़ेहनी बीमारियों के बारे में तो हर कोई जानता है। साइबर क्राइम के बारे में भी हर कोई जानता है कि कैसे सिर्फ एक लिंक पर क्लिक कर देने भर से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। लेकिन मोबाइल के इन सब नुकसानात के अलावा एक और जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है रिश्तों में दूरियों का आ जाना। मोबाइल तो रिश्तों में दूरियों को कम करने के लिए आया था की अब दूर बैठे शख़्स से भी रोज़ फोन पर बातें हो सकेंगी उन्हें देख सकेंगे लेकिन कहाँ पता था कि इस मोबाइल की वजह से सामने बैठा शख़्स भी नज़र नहीं आयेगा। सोशल साइट पर बहुत सारे दोस्त मिलते जा रहे हैं लेकिन घर के लोग ही आपस में एक दूसरे से अनजान होते जा रहे हैं। सोशल साइट पर अनजान लोगों से बात करने का तो वक़्त होता है लेकिन अपनों से बात करने का वक़्त नहीं होता।

मोबाइल से पहले की ज़िन्दगी ही अलग थी जब आदमी थक–हार घर लौट कर अपने परिवार के साथ वक़्त बिताता था। जब घर के बुज़ुर्ग शाम होते ही एक दूसरे के साथ बैठ कर चाय पीते हुए हर तरह की बातों पर चर्चा करते थे। बीमार होने पर हाल चाल पूछने जाते थे। त्योहारों पर एक दूसरे के घर मिलने जाते थे अब तो बस मोबाइल पर मैसेज भेज कर अपने फर्ज की अदायगी कर लेते हैं। बच्चों पर इस मोबाइल का और भी ज़्यादा बुरा असर हो रहा हैं बच्चों का बचपन इसी मोबाइल में खोता जा रहा हैं। जहाँ पहले शाम के वक़्त हर गली मैदानों में बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे वहीं अब हर दो क़दम पर छोटे–छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए नज़र आते हैं। जो बच्चे कभी पार्कों और मैदानों की रौनक हुआ करते थे अब वो मोबाइल में ही खो कर रह गये हैं। छोटे–छोटे बच्चे कम उम्री में ही खुदकुशी जैसा बड़ा क़दम उठा रहे हैं। आये दिन ऐसी ख़बरें आती रहती हैं जहाँ बच्चे सिर्फ मोबाइल न मिलने की वजह से या मोबाइल में गेम खेलने की वजह से डाँट खाने पर खुदकुशी कर लेते हैं। इसकी एक वजह माँ–बाप का अपने बच्चों को वक़्त न देना और बिना ज़रूरत मोबाइल को दिल देना है। बच्चे इसमें पढ़ाई से ज़्यादा घण्टों इसमें गेम खेल कर वक़्त को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ बच्चे इससे अपराधी प्रवृत्ति के बनते जा रहे हैं। लॉकडाउन ने हर बच्चे के हाथ में माबाइल को बहुत आसानी से पहुँचा दिया है। अब बच्चे असल दुनिया को छोड़ कर मोबाइल की दुनिया में ही रहने लग गये हैं।

जहाँ एक तरफ मोबाइल हमारे वक़्त को बचा रहा है वहीं दूसरी तरफ़ ये हमारे वक़्त को बर्बाद कर रहा है।

मोबाइल इस्तेमाल करते करते कब मोबाइल ने इन्सानों को इस्तेमाल करना शुरु कर दिया पता ही नहीं चला।

कभी वक़्त मिले तो मोबाइल साइड में रख कर मोबाइल से होने वाले इन नुकसानात के बारे में सोचें। मोबाइल के ग़ैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने की कोशिश करें। अपनों को वक़्त दें क्योंकि मोबाइल तो हमेशा रहेगा लेकिन हमारे आस–पास मौजूद लोग हमेशा नहीं रहेंगे।

❖❖❖

कब्ज़ से छुटकारा दिलाएं ये घरेलू उपाय

डॉ0 शालिनी श्रीवास्तव

कब्ज़ एक आम समस्या है, जिससे आए दिन कोई न कोई पीड़ित रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण खाने में फाइबर की कमी, कम पानी पीना और किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं रहना है। इसमें मल ठोस या कड़क हो जाता है, जो बाहर नहीं निकल पाता है। एक या दो दिन स्टूल पास नहीं होना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर यह समस्या ज़्यादा दिनों तक बनी हुई है, तो यह गंभीर कब्ज़ का संकेत है। कई बार पुरानी कब्ज़ बवासीर, भगंदर, फिशर या आंतों में गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से इस समस्या से राहत पाया जा सकता है। आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में–

आँवला जूसः–

यह सिर्फ कब्ज़ से ही राहत नहीं देता है, बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य समस्याओं को खत्म करने की क्षमता है। 30 मिली आंवले के जूस को सुबह बासी मुंह एक गिलास पानी में मिला कर पीने से पाचन तंत्र मज़बूत होता है और कब्ज़ से राहत मिलती है।

दही और अलसी के बीजः–

दही में प्रोबायोटिक होता है जिसे बिफीडोबैक्टीरियम लैक्टिस कहा जाता है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में मदद करता है। वहीं, अलसी में घुलनशील फाइबर पाये जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। इससे मल नरम हो जाता है और आसानी से निकल जाता है।

फाइबर युक्त चीज़ें और पानी का सेवन कब्ज़ से छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया उपाय है। हालांकि, समस्या गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

घी और दूधः–

घी ब्यूटिरिक एसिड का एक बढ़िया स्रोत है, जो आँतों के चयापचय में सुधार करता है और मल की गति में मदद करता है। रात को सोते समय एक कप गर्म दूध में 2 चम्मच घी मिला कर पीने से सुबह के समय कब्ज़ को कम करने का एक प्रभावी तरीक़ा है।

जई का चोकरः–

इसमें घुलनशील फाइबर दोनों भारी मात्रा में पाये जाते हैं। यह दोनों तत्व कब्ज़ से राहत दिलाने और आँतों के कामकाज में सुधार करने में मदद करते हैं।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंः–

कब्ज़ से बचने या राहत पाने का सबसे सस्ता और सरल उपाय है खूब पानी पीना। इसके अलावा अन्य तरल पदार्थ कब्ज़ में सुधार करते हैं।

हरे पत्तेदार सागः–

पालक, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और ब्रोकोली जैसे हरे पत्ते फाइबर से भरे होते हैं, साथ ही इनमें फोलेट और विटामिन सी और के भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह सभी तत्व आँतों के कामकाज को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

(सीनियर डायटिशन, के0जी0एम0यू0ए डेस्क एनबीटी, लखनऊ के शुक्रिए के साथ)

❖❖❖

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

बुर्ज खलीफा में रोजा इफ़्तार के समय में अंतरः—

दुबई (वेब डेस्क) संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बुर्ज खलीफा के निवासी एक ही इमारत में रहने के बावजूद अलग अलग समय में अपना रोज़ा इफ़्तार करते हैं।

दुबई के शीर्ष धार्मिक विद्वान मुहम्मद अल कबासी के अनुसार, बुर्ज खलीफा इतनी ऊँची इमारत है कि 150वीं मंजिल के ऊपर रहने वाले लोगों को दूसरों की तुलना में अपना रोज़ा खोलने के लिए 3 मिनट अधिक इंतजार करना पड़ता है, जबकि 80वीं मंजिल से ऊपर रहने वालों को 2 मिनट इंतजार करना पड़ता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि इमारत की ऊपरी मंजिलों में रहने वाले लोग ज़मीन पर रहने वालों की तुलना में ज़्यादा देर तक सूरज देख सकते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुनिया की इस सबसे ऊँची इमारत में 160 रहने योग्य मंजिलें हैं।

अब EMI पर मिलने लगा फलों का राजा अल्फांसोः—

अपने खास स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर अल्फांसो आम के दाम में बेतहाशा बढ़ोत्तरी को देखते हुए पुणे के एक कारोबारी ने फलों के राजा को खरीदने के लिए ग्राहकों को आसान मासिक किस्तों (EMI) की अनूठी सुविधा पेश की है। महाराष्ट्र के देवगढ़ और रत्नागिरि में पैदा होने वाले अल्फांसो को हापुस आम के नाम से भी जाना जाता है। आम की तमाम क़िस्मों में अल्फांसो को सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अपने बेहतरीन स्वाद और कम उत्पादन की वजह से इसके दाम अक्सर आम लोगों की पहुँच से बाहर ही रहते हैं।

इस साल भी अल्फांसो आम खुदरा बाजार में 800 रूपये से 1300 रूपये प्रति दर्जन के भाव पर बिक रहा है। ऐसी स्थिति में आम लोगों तक इस खास आम का स्वाद पहुँचाने के लिए गौरव सनस नाम के कारोबारी एक अनूठी पेशकश ले कर आए हैं। वह अल्फांसो को अब किसी महंगे इलेक्ट्रानिक सामान की तरह आसान मासिक किस्त यानी (EMI) पर भी बेचने को तैयार हैं।

जापान में बजुर्गों की बढ़ती आबादी के कारण विदेश से कामगारों की मांग बढ़ीः—

जापान में अभी 20 प्रतिशत आबादी की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है। यह दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले बुजुर्गों की औसत आबादी से ज़्यादा है। अनुमान है कि 2030 तक यह ट्रेंड और बढ़ेगा। तब जापान में हर तीसरे व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा होगी, जब कि हर पाँचवां व्यक्ति 75 वर्ष से ऊपर का होगा। जापानी कंपनियों ने कोयामाकी फसल की कटाई के लिए भारत की रिक्रूटमेंट एजेंसियों से संपर्क किया है। यह फसल पहाड़ों पर होती है। इसलिए जापानी कंपनियों को तंदुरुस्त युवाओं की ज़रूरत है। ◆◆

अनुरोध

अगर आपको "सच्चा राही" की सेवाएं पसन्द हों तो आप से अनुरोध है कि "सच्चा राही" के नये ग्राहक बनाने का प्रयास करें, अल्लाह आपको अज्र देगा और हम आपके आभारी होंगे।

(सम्पादक)

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوة العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 01/05/2023 तاریخ

स्टॉफ़ क्वाटर्स की तामीर के लिए अपील

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, दारुल उलूम और उसकी ब्रांचों में इल्मी तालीमी सिलसिला बराबर जारी है, टीचर्स व स्टॉफ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स व स्टॉफ की अधिकता की वजह से दारुलउलूम में उनके रहने की गुंजाइश नहीं रही तो दारुलउलूम के मेन कैम्पस के अलावा माहद सिकरौरी में स्टॉफ क्वाटर्स और माहद के करीब नदवा कालोनी की तीन मंज़िला बिल्डिंग तामीर हुई, मगर अब भी स्टॉफ के लिए क्वाटर्स की कमी बहुत ज़ियादा महसूस की जा रही है, इस सूरते हाल की वजह से नदवा मेन कैम्पस से करीब मुहल्ला मकारिम नगर में कुछ और स्टॉफ क्वाटर्स बनाने का फैसला किया गया है, और अल्लाह तआ़ला की मदद के भरोसे पर यह तामीर शुरु कर दी गयी है।
नये स्टॉफ क्वाटर्स की यह बिल्डिंग तीन मंजिला होगी, जिसमें 9 फेमली क्वाटर्स होंगे, इसकी तामीर पर 1,15,00000/— (एक करोड़ पंद्रह लाख) रूपये के खर्च का अंदाज़ा है, जो इंशाअल्लाह अहले खैर हज़रात के सहयोग से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम ज़रूरत की ओर फौरन तवज्जोह फरमायेंगे और नदवतुल उलमा के कारकुनों का हाथ बटायेंगे।

हमें अल्लाह तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि उसकी मदद से यह काम मुकम्मल होगा।

मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा—ए—करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 8736833376 पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
—:तअ़मीरः—
A/C No. 10863759733

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को Section 80G income Tax act 1961के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

RNI No. UPHIN/2002/07945
Regd. No. SSP/LW/NP-491/2021 To 2023
Dispatch Date :1 & 5
Published of 27th Advance Month
Dispatch: R.M.S Charbagh, Lucknow

MONTHLY
SACHCHA RAHI
Vol. 22 - Issue 03

Office Timing : 7:30 AM To 1:15PM
Tel.:(0522) 2740406
ISSN No. : 2582-4007
http://sachcha-rahi.nadwa.in
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com

DESIGNED BY SAAD HAMDANIWALA © 9860448783

Printed & Published by Mohammad Taha Athar, Tagore Marg, Badshah Bagh, Lukcnow - 7
on behalf of Majlis-e-Sahafat-wa-Nashriyat at Kakori Offset Press, BN Varma Road, Lucknow - 3